

Vol. 264

No. 5



Wednesday,

3rd July, 2024

12 Ashadha, 1946 (Saka)

PARLIAMENTARY DEBATES

# RAJYA SABHA

OFFICIAL REPORT (FLOOR VERSION)

CONTENTS

Birthday Greetings (pages 1 - 2)

Obituary Reference (page 2)

Reference by the Chair-

Stampede at a religious event at Hathras, Uttar Pradesh (pages 2 - 4)

Papers Laid on the Table (pages 5 - 28 )

Motion of Thanks on the President's Address - *Adopted* (pages 28 - 46, pages 47 - 50 and pages 51 - 61)

Observations by the Chair (page 47)

Announcement by the Chairman (pages 51)

©

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

Valedictory Remarks (pages 62 - 63)

National Song (page 63)

Website : <http://rajyasabha.nic.in>  
<http://parliamentofindia.nic.in>  
E-mail : [rsedit-e@sansad.nic.in](mailto:rsedit-e@sansad.nic.in)

## RAJYA SABHA

*Wednesday, the 3<sup>rd</sup> July, 2024/12 Ashadha, 1946 (Saka)*

*The House met at eleven of the clock,*

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

### BIRTHDAY GREETINGS

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान): सभापति जी, मैं आपके सामने हाथरस के बारे में बात रखना चाहता हूँ ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Pramodji, this is engaging my attention. I will be talking about it. I have taken note of it.

Hon. Members, I extend Birthday Greetings to hon. Members of Parliament, Dr. K. Laxman and Shri Harbhajan Singh.

Dr. K. Laxman is Member of this august House since July, 2022. He has rich and varied experience in public life. Having represented Musheerabad twice — first in the Eleventh Andhra Pradesh Legislative Assembly from 1999 to 2004 and later in the First Telangana Legislative Assembly from 2014 to 2018, he was the Floor Leader of the BJP from 2014 to 2016 in Telangana Assembly. He is currently the National President of his party's OBC Morcha. A doctorate in Geology from Osmania University, Dr. Laxman has always advocated and championed the welfare of marginalized.

He has a deep passion for sports, was a league-level cricketer and volleyball player. He is actively involved in Telangana and Andhra Pradesh Olympic Associations. Married to Smt. Kova Uma, the couple is blessed with daughters, Shweta and Shruti and son Rahul.

I join this House to wish Dr. K. Laxman the best of health and happiness and extend greetings to his family members.

Shri Harbhajan Singh, known for his off-spin in cricket, is a Member of this House since 2022. He is amongst the top three off-spinners and regarded as one of the best bowlers in his area.

Shri Harbhajan Singh, the Turbanator, played a pivotal role in India's victory in T20 World Cup in 2007 and ODI World Cup in 2011. Just within three years of his debut, he claimed the historic test hat-trick against Australia in 2001. With his 103 Test Matches, 236 One Day Internationals and several T20 matches, Shri Harbhajan Singh has left a truly inspirational legacy. He was honoured with the Arjuna Award in

2003 and conferred the Civilian Award, Padma Shri, in 2009 by the Government of India. Married to Smt. Geeta Basra, the couple is blessed with daughter, Hinaya, and son Jovan. I join this House to wish Shri Harbhajan Singh and his family the best of health and happiness and extend greetings to his family members.

---

### OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I refer with profound sorrow to the passing away of a former Member of this House, **Shri Dharmapuri Srinivas**, on 29<sup>th</sup> June, 2024.

Shri D. Srinivas, a three-term Member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly, a Cabinet Minister in the State, as also the Leader of the Opposition in the Legislative Council, served in this House, representing the State of Telangana, from 2016 to 2022. Born on 27<sup>th</sup> September, 1948, at Velpur in Nizamabad district of Telangana, Shri Dharmapuri Srinivas dedicated his life to the upliftment of backward and deprived sections of the society. In the passing away of Shri Dharmapuri Srinivas, the country has lost a veteran legislator, a champion of the backward classes and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Shri Dharmapuri Srinivas. I request the Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

*(Hon. Members then stood in silence for one minute.)*

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy.

---

### REFERENCE BY THE CHAIR

#### **Stampede at a religious event at Hathras, Uttar Pradesh**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, as you are aware, several devotees lost lives in a stampede that broke out at a religious event at Hathras in Uttar Pradesh. The loss of precious lives and injury to hapless persons in this tragic incident is indeed painful and unfortunate. All necessary steps are being taken to provide medical aid to the injured and authorities have set up a committee to investigate the matter. This House joins me in expressing our heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow to

the bereaved families and in praying for the speedy recovery of the injured. I request hon. Members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in this tragedy.

*(Hon. Members then stood in silence for one minute.)*

**श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान):** मान्यवर, एक सेकंड... सर, यह बताएं कि...

Mr. CHAIRMAN: I have taken note of it. Hon. Members, this is an aspect on which this House should deliberate in a structured manner so that all over the country where there are places where people gather for fairs, for religious purposes or similar social activities, there is a structured mechanism in place so that the administration at district level all over the country is sensitized. I had reflected on this when I addressed the Indian Institute of Public Administration. I would personally welcome inputs from Members as to what can be done in this direction and, in the next session, we will work to evolve a mechanism so that such events are avoided because these events are avoidable. I am sure the House will take note of it. We will have it next time.

SHRI PRAMOD TIWARI: Sir, the LoP...

MR. CHAIRMAN: Let us not persist. I have said. This is not an occasion, Sir.

Now, Papers to be Laid on the Table. Shri Jagat Prakash Nadda.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Sir, I want to suggest....

MR. CHAIRMAN: One minute, Naddaji. Hon. LoP.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, just I want to suggest to you, जो ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसी जगहों पर लोग ब्लाइंड फेथ पर इकट्ठा होते हैं और इनके लिए कोई कानून नहीं है। यानी ऐसे सत्संग बड़ी संख्या में करने हैं, तो ये कितने एरिया में होने चाहिए, कहां पर होने चाहिए, वहां का एक्सेस क्या है, उसके नियर हॉस्पिटल्स कितने एरिया में हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ब्लाइंड फेथ रखते हुए लोग बिना कुछ समझे ऐसी जगहों पर जाते हैं। वहां एक बड़ा हादसा हुआ है और 135 लोग मर गए हैं। इसीलिए इस पर आप एक कानून बनाइए, क्योंकि ऐसे ब्लाइंड फेथ में बहुत से पुलिस ऑफिसर्स भी सत्संग में जाते हैं।

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sir.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** साहब, अब बहुत से बाबा जेल में हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसे बहुत से नकली बाबाओं को...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Your point is taken. ....(Interruptions)... Please sit down. ... (Interruptions)... Leader of the House, what is happening? ... (Interruptions)... One minute, Mr. Sanjay Singh. If the Leader of the Opposition is on his legs, I will not countenance anyone interrupting. I will not countenance any Member interrupting anyone. The Leader of the Opposition is making a very important point. That point has been made to me in my Chamber by the Leader of the House and by Shri Pramod Tiwari. They came to my Chamber. This is an important point, above partisan stance. Please, the point is taken note of. After the Session is over today, I invite you and the Leader of the House.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** मैं इसलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में ऐसा एक कानून बना, जो अंध श्रद्धा के खिलाफ ...(व्यवधान)... अंध श्रद्धा के संबंध में कर्णाटक और महाराष्ट्र में कानून बने हैं। उसी लाइन पर आप कानून बनवाइए और इसके ऊपर पाबंदी लगाइए। सच्चे लोगों को आने दो...

MR. CHAIRMAN: Understood, Sir. It is taken note of.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** नकली लोग आकर पैसे के लिए बहुत जगह आश्रम बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। लोग मर जाते हैं...

MR. CHAIRMAN: Thank you. It is a solemn occasion. You have made your point.

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** मैं आपसे विनती करता हूँ कि इसके ऊपर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए। आप होम मिनिस्टर को बोलिए या लीडर ऑफ दि हाउस को बोलिए।

MR. CHAIRMAN: Please. You have made your point. I have understood it. ... (Interruptions)... Hon. Members, the hon. Leader of the Opposition has raised important points. I am sure the Leader of the House himself has indicated to me the same thing in my Chamber. Take note of it. It will be an extremely healthy tradition that both of you get together and we work out something so that such events, which are avoidable, are avoided.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table.

### Notification of the Ministry of Health and Family Welfare

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Health and Family Welfare Notification No. S.O. 1490(E)., dated the 20<sup>th</sup> March, 2024, publishing the National Commission for Allied and Healthcare Professions 7<sup>th</sup> (Removal of Difficulties) Order, 2024, under sub-section (2) of Section 69 of National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021.

[Placed in Library. See No. L.T. 79/18/24]

### Notifications of the Ministry of Mines

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दूबे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(A) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. S.O. 5411(E).dated the 21<sup>st</sup> December, 2023, reserving certain area, as mentioned therein, in Arabian Sea off the coast of Daman for the purposes of the Central Government for grant of composite licence by the administering authority to the Jawaharlal Nehru Port Authority., issued under sub-section (1) of Section 8 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002, along with delay statement.

[Placed in Library. See No. L.T. 142/18/24]

(B) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Mines Notification No. G.S.R. 315(E)., dated the 6<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Offshore Areas (Existence of Mineral Resources) Rules, 2024, under sub-section (3) of Section 35 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002.

[Placed in Library. See No. L.T. 143/18/24]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Mines, under sub-section (1) of Section 28 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957:-

- (1) G.S.R. 48(E)., dated the 19<sup>th</sup> January, 2024, notifying certain agencies, as mentioned therein, under 'Category A Exploration

- Agencies', along with delay statement.
- (2) G.S.R. 49(E).., dated the 21<sup>st</sup> January, 2024, publishing the Mineral (Auction) Amendment Rules, 2024, along with delay statement.
  - (3) G.S.R. 50(E).., dated the 21<sup>st</sup> January, 2024, publishing the Minerals (Other than Atomic and HydroCarbons Energy Minerals) Concession Amendment Rules, 2024, along with delay statement.
  - (4) G.S.R. 51(E).., dated the 21<sup>st</sup> January, 2024, publishing the Mineral Conservation and Development (Amendment) Rules, 2024, along with delay statement.
  - (5) G.S.R. 52(E).., dated the 21<sup>st</sup> January, 2024, publishing the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Amendment Rules, 2024, along with delay statement.
  - (6) G.S.R. 106(E).., dated the 14<sup>th</sup> February, 2024, publishing the Atomic Minerals Concession (Amendment) Rules, 2024.
  - (7) G.S.R. 118(E).., dated the 20<sup>th</sup> February, 2024, publishing the Minerals (Other than Atomic and HydroCarbons Energy Minerals) Concession (Second Amendment) Rules, 2024.
  - (8) G.S.R. 152(E).., dated the 1<sup>st</sup> March, 2024, amending the Second Schedule to the said Act.
  - (9) S.O. 1359(E).., dated the 14<sup>th</sup> March, 2024, notifying the M/s. MECON Limited for the purposes that it shall make available the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.
  - (10) S.O. 1872(E).., dated the 30<sup>th</sup> April, 2024, notifying the M/s. NTPC Mining Limited for the purposes that it shall make available the data generated by it, in respect of the prospecting operations undertaken by it, to the concerned State Government.
  - (11) G.S.R. 264(E).., dated the 30<sup>th</sup> April, 2024, rescinding the Notification No. G.S.R. 40(E), dated the 18<sup>th</sup> January, 2018, with effect from the date of publication of this notification.
  - (12) S.O. 2077(E).., dated the 22<sup>nd</sup> May, 2024, reserving certain area, as mentioned therein, in Bailadilla Reserve Forest, South Bastar Dantewada for undertaking mining operations, in favour of NMDC Limited.
  - (13) S.O. 2379(E).., dated the 20<sup>th</sup> June, 2024, notifying certain agencies, as mentioned therein, under 'Category A Exploration Agencies'.

[Placed in Library. For (1) to (13), See No. L.T. 144/18/24]

....(Interruptions)...



MR. CHAIRMAN: Pramodji, in this House, we have to handhold people also and I am sure that is a positive approach. Every day, you can understand, I invite several Members for the purpose of handholding. You have been there for more than three-and-a-half decades. Now, Dr. Jitendra Singh.

### **Notification of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) Notification No. G.S.R. 242(E), dated the 5<sup>th</sup> April, 2024, publishing the Indian Administrative Service (Probationers' Final Examination) Amendment Regulations, 2024, under sub-section (2) of Section 3 of the All-India Services Act, 1951.

[Placed in Library. See No. L.T. 145/18/24]

### **Notification of the Ministry of Law and Justice**

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नोटरी (संशोधन) नियम, 2024 को प्रकाशित करने वाली विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 132 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2024 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिंदी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. See No. L.T. 29/18/24]

#### **I. Notifications of the Ministry of Ayush**

#### **II. Report and Accounts (2022-23) of CCRH, New Delhi and related papers**

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

I. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Ayush, under Section 56 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020:-

- (1) No. 10-2/MARBH/NCH/2023-24., dated the 13<sup>th</sup> March, 2024, publishing the National Commission for Homoeopathy (Assessment and Rating of Medical Institutions) Regulations, 2024.
- (2) No. 3-35/2021/NCH/HEB/MES.C., dated the 13<sup>th</sup> March, 2024, publishing the National Commission For Homoeopathy (Minimum

Essential Standards For Homoeopathic Colleges And Attached Hospitals)

Regulations, 2024.

- (3) No. 3-35/2021/NCH/HEB/MSR.C., dated the 13<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Establishment of New Homoeopathic Medical Institution (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Intake Capacity by a Medical Institution), Regulations-2024.
- (4) No. 3-42/2021/NCH/HEB/PG.Reg., dated the 19<sup>th</sup> March, 2024, publishing the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy) Regulations, 2024.

[Placed in Library. For (1) to (4), See No. L.T. 81/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Ayush, under Section 56 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020:-

- (1) No. 18-12/2021-BUSS (SID-UG-MES)., dated the 26<sup>th</sup> April, 2024, publishing the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Undergraduate Siddha Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2024.
- (2) No. BOA/2-C/2024., dated the 2<sup>nd</sup> May, 2024, publishing the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024.
- (3) No. BOA/2-C/2024., dated the 28<sup>th</sup> May, 2024, publishing a Corrigendum to the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum essential standards, assessment and rating for undergraduate Ayurveda colleges and attached teaching hospitals) Regulations, 2024.

[Placed in Library. For (1) to (3), See No. L.T. 80/18/24]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Ayush, under Section 29 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020:-

- (1) No. L-12015/25/2021-AS(II)., dated the 7<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Post Graduate-

Ayurveda Regulations, 2024.

- (2) No. L-12015/25/2021-AS (III)., dated the 7<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Post Graduate-Pharmacy Regulations 2024.
- (3) No. L-12015/25/2021-AS (I)., dated the 7<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Doctor of Philosophy Regulations 2024.
- (4) No. L-12015/25/2021-AS(IV)., dated the 7<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda for Under Graduate, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery Regulations, 2024.
- (5) No. L-12015/25/2021-AS-Pt.1.C-. , dated the 29<sup>th</sup> April, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda – Swasthavritta and Allied Sciences Programme Regulations 2024.
- (6) No. L-12015/25/2021-AS-Pt.1A., dated the 2<sup>nd</sup> May, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Bachelor of Pharmacy- Ayurveda [B. Pharm. (Ayu.)] Regulations 2024.
- (7) No. L-12015/25/2021-AS-Pt.1B., dated the 2<sup>nd</sup> May, 2024, publishing the Institute of Teaching and Research in Ayurveda (Diploma in Pharmacy – Ayurveda) Regulations 2024.

[Placed in Library. For (1) to (7), See No. L.T. 146/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:-

- (a) Annual Report and Accounts of the Central Council for Research in Homeopathy (CCRH), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 82/18/24]

- I. **Notifications of the Ministry of Electronics and Information Technology**
- II. **Report and Accounts (2022-23) of NICS, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI JITIN PRASADA): Sir, I lay on the Table:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of

Electronics and Information Technology, under sub-section (3) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000:-

- (1) G.S.R. 808(E)., dated the 31<sup>st</sup> October, 2023, publishing the Information Technology (Qualification and Experience of Adjudicating Officers and Manner of Holding Enquiry) Amendment Rules, 2023.
- (2) G.S.R. 133(E)., dated the 26<sup>th</sup> February, 2024, publishing the Information Technology (Procedure and Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of Information) Amendment Rules, 2024.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No. L.T. 83/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Company.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 84/18/24]

### **Notification of the Ministry of Power**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Power Notification No. G.S.R. 873(E)., dated the 4<sup>th</sup> December, 2023, publishing the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Deputy Director General (NMEEE) Amendment Rules, 2023, under Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

[Placed in Library. See No. L.T. 147/18/24]

### **Report and Accounts (2022-23) of NSKFDC, New Delhi and Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Sir, I lay on the Table:-

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers under sub-section (1) (b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:—

- (a) Twenty-sixth Annual Report and Accounts of the National SafaiKaramcharis Finance and Development Corporation (NSKFDC), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
- (b) Review by Government on the working of the above Corporation.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 86/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

- (a) Annual Report and Accounts of Dr. Ambedkar Foundation, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Explanatory Note by Government on the working of the above Foundation for the year 2022-23.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 85/18/24]

**Report and Accounts (2022-23) of Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat and related papers**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 34 की उप धारा (3) और धारा 32 की उप धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Rashtriya Raksha University, Gandhinagar, Gujarat, for the year 2022-23 and the Audit Report thereon.

[Placed in Library. See No. L.T. 89/18/24]

**I. Notifications of the Ministry of Labour and Employment**

**II. Report and Accounts (2022-23) of MSME- Technology Centre Kanpur, Uttar Pradesh and related papers**

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Labour and Employment, under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952: -

- (1) G.S.R. 325(E)., dated the 14<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 92/18/24]

- (2) G.S.R. 326(E)., dated the 14<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 93/18/24]

- (3) G.S.R. 327(E)., dated the 14<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Employees' Pension (Third Amendment) Scheme, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 94/18/24]

- (4) G.S.R. 329(E)., dated the 14<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 95/18/24]

- (5) G.S.R. 330(E)., dated the 14<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Employees' Deposit Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 96/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

- (a) Annual Report and Accounts of the MSME- Technology Centre Kanpur, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 148/18/24]

### **Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND

CLIMATE CHANGE (SHRI KIRTIVARDHAN SINGH): Sir, I lay on the Table:-

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, under sub-section (2) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972:-

- (1) G.S.R. 46(E)., dated the 18<sup>th</sup> January, 2024, publishing the Wild Life (Protection) Licencing (Additional Matters for Consideration) Rules, 2024.
- (2) G.S.R. 47(E)., dated the 19<sup>th</sup> January, 2024, publishing the Wild Life (Transactions and Taxidermy) Rules, 2024.
- (3) G.S.R. 130(E)., dated the 23<sup>rd</sup> February, 2024, publishing the 'Scheduled Specimen (Conditions and Procedure for exemption), Rules, 2024'.
- (4) G.S.R. 145(E)., dated the 29<sup>th</sup> February, 2024, publishing the Living Animal Species (Reporting and Registration) Rules, 2024.
- (5) G.S.R. 191(E)., dated the 14<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 149/18/24]

(B) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. S.O. 943(E)., dated the 29<sup>th</sup> February, 2024, authorising the Chief Wild Life Wardens of all States and Union territories, in their respective jurisdictions, to perform the functions of the Management Authority under Section 49M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and the rules made there under.

[Placed in Library. See No. L.T. 150/18/24]

(C) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification No. S.O. S.O. 944(E)., dated the 29<sup>th</sup> February, 2024, authorising the Officers of the Wild Life Crime Control Bureau, not below the rank of Head Constable in relation to the specimens of species listed in Schedule IV to the Wild Life (Protection) Act, 1972, to exercise the powers and perform the functions under section 50 of the said Act.

[Placed in Library. See No. L.T. 151/18/24]

**Reports and Accounts of NISD, New Delhi for various years and related papers**

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Social Defence (NISD), New Delhi, for the year 2019-20, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.
- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Social Defence (NISD), New Delhi, for the year 2020-21, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.
- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the National Institute of Social Defence (NISD), New Delhi, for the year 2021-22, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. For (i) to (ii), See No. L.T. 97/18/24]

### **I. Notifications of the Ministry of Information and Broadcasting**

### **II. Accounts (2022-23) of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I lay on the Table:-

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Information and Broadcasting, under sub-section (3) of Section 8 of the Cinematograph Act, 1952:-

- (1) G.S.R. 214(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Cinematograph (Certification) Rules, 2024.
- (2) G.S.R. 317(E), dated the 7<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Cinematograph (Adjudication of Penalty) Rules, 2024.

[Placed in Library. For (1) and (2), See No. L.T. 152/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 21 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990: -



- (a) Annual Accounts of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the paper mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 98/17/24]

**Report and Accounts (2022-23) of National Rural Infrastructure Development Agency, New Delhi and related papers**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान):** महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Annual Report and Accounts of the National Rural Infrastructure Development Agency, New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 103/18/24]

**Notifications of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी):** महोदय, मैं डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 की धारा 46 की उप धारा (2) के अधीन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं और समीक्षा तथा विलंब संबंधी विवरणों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) No. 408/DRPCAUI (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, notifying an Ordinance regarding the conditions of residence of the students of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
- (2) No. 409/DRPCAUI (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, notifying an Ordinance regarding the procedure of appointment and emoluments of employees other than those for whom provisions has been made in the Statutes in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
- (3) No. 410/DRPCAUI (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, notifying an Ordinance regarding the provision of establishment of Special Centres, Specialized Laboratories in the Dr. Rajendra Prasad Central

- Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
- (4) No. 411/DRPCAU (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, notifying an Ordinance regarding the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or associations in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
  - (5) No. 412/DRPCAU (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, notifying an Ordinance regarding the provision of the management of colleges and institutions established by the University of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
  - (6) No. 413/DRPCAU (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, making an Ordinance regarding the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and the prescribing of special courses of studies for them in the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.
  - (7) No. 414/DRPCAU (VC), Pusa., dated the 25<sup>th</sup> October, 2023, making an Ordinance regarding the setting up of a mechanism for redressal of grievances of employees of the Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University, Pusa, as mentioned therein.

[Placed in Library. For (1) to (7), See No. L.T. 153/18/24]

### **Notifications of the Ministry of Railways**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAVNEET SINGH): Sir, I lay on the Table:-

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Railways, under Section 199 of the Railways Act, 1989: -

- (1) G.S.R. 160(E)., dated the 7<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2024.
- (2) G.S.R. 170(E)., dated the 11<sup>th</sup> March, 2024, publishing the Railways (Opening for Public Carriage of Passengers) Amendment Rules, 2024.

(B) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways Notification No. G.S.R. 286 (E)., dated the 22<sup>nd</sup> May, 2024, publishing the Railway Servants (Discipline and Appeal) Amendment Rules, 2024, framed under Article 309 of the Constitution of India.

[Placed in Library. For (A) and (B), See No. L.T. 104/18/24]

(C) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Railways Notification No.G.S.R. 287(E)., dated the 22<sup>nd</sup> May, 2024, publishing the Railway Servants (Conduct of Disciplinary Inquiry through Video Conferencing) Regulations, 2024, framed under rule 9 of the Railways Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968.

[Placed in Library. See No. L.T. 105/18/24]

- I. **Notifications of the Ministry of Education**
- II. **Reports and Accounts (2022-23) of IISER, Berhampur, Odisha; and IISER, Thiruvananthapuram, Kerala and related papers**
- III. **Reports and Accounts (2022-23) of various IIMs and IITs and related papers**
- IV. **Reports and Accounts (2022-23) of Auroville Foundation, Auroville, Tamil Nadu; IITD&M, Kancheepuram, Tamil Nadu; and IGNOU, New Delhi and related papers**
- V. **Reports and Accounts (2022-23) of various Sansthan, Council, Institutes etc. and related papers**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Sir, I lay on the Table:-

I. (A) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Education (Department of Higher Education) Notification No. IIMA/CAO/OFF/2024/011., dated the 18<sup>th</sup> June, 2024, publishing the Indian Institute of Management Ahmedabad Regulation, 2024, issued under Section 35 of the Indian Institutes of Management Act, 2017.

[Placed in Library. See No. L.T. 52/17/24]

(B) A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Education (Department of Higher Education) Notification No. F. 1-5/2024 (DEB-I)., dated the 3<sup>rd</sup> May, 2024, publishing the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Third Amendment Regulations, 2024, under Section 28 of the University Grant Commission Act, 1956.

[Placed in Library. See No. L.T. 154/18/24]

(C) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Education (Department of Higher Education), under of Section 33 of the Auroville Foundation Act, 1988: -

- (1) No. AF/1-4/2023., dated the 4<sup>th</sup> January, 2024, publishing the Auroville Foundation (Admission and Termination of Persons in the Register of

Residents) Regulations, 2023.

- (2) No.AF/1-4/2023., dated the 12<sup>th</sup> January, 2024, publishing the Auroville Foundation (Framework for Selection of Working Committee) Regulations, 2024.

[Placed in Library. See No. L.T. 45/18/24]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 22 of the National Institute of Technology, Science Education & Research Act, 2007: -

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Berhampur, Odisha, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Account.  
 (b) Review by Government on the working of the above Institute.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 155/18/24]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Science Education and Research (IISER), Thiruvananthapuram, Kerala, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Account.  
 (b) Review by Government on the working of the above Institute.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 156/18/24]

III. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 28 and sub-section (5) of Section 23 of the Indian Institutes of Management Act, 2017: -

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Indore, Madhya Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.  
 (b) Review by Government on the working of the above Institute.  
 (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 54/18/24]

- (ii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management

(IIM), Rohtak, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 60/18/24]

(iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Ranchi, Jharkhand, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 61/18/24]

(iv) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Kozhikode, Kerala, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 62/18/24]

(v) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Nagpur, Maharashtra, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 63/18/24]

(vi) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Kashipur, Uttarakhand, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 58/18/24]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Bodh Gaya, Bihar, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 57/18/24]

- (viii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Sirmour, Himanchal Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 56/18/24]

- (ix) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad, Gujarat, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 59/18/24]

- (x) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Management (IIM), Jammu, UT of Jammu & Kashmir, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 55/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 37 of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017: -

- (i) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Agartala, Tripura, for the year 2022-23, together with

the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 51/18/24]

- (ii) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Senapati, Manipur, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Technology Information (IIIT), Senapati, Manipur for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 67/18/24]

- (iii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Ranchi, Jharkhand, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 69/18/24]

- (iv) (a) Annual Report of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Raichur, Karnataka, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Raichur, Karnataka, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 70/18/24]

- (v) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Bhopal, Madhya Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 65/18/24]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Sonapat, Haryana, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 64/18/24]

- (vii) (a) Annual Report and Accounts of the Indian Institute of Information Technology (IIIT), Lucknow, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Institute.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 68/18/24]

IV. (A) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (3) of Section 24 and sub-section (4) of Section 26 of the Auroville Foundation Act, 1988:-

- (a) Annual Report and Accounts of the Auroville Foundation, Auroville, Tamil Nadu, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.

- (b) Review by Government on the working of the above Foundation.

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 45/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (5) of Section 30 and sub-section (3) of Section 39 of the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014:-

- (a) Annual Reports of the Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing (IIITD&M), Kancheepuram, Tamil Nadu, for the year 2022-23.



- (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing (IIITD&M), Kancheepuram, Tamil Nadu, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 73/18/24]

(C) A copy (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (4) of Section 29 of the Indira Gandhi National Open University Act, 1985:-

- (a) Annual Accounts of the Indira Gandhi National Open University (IGNOU), New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 157/18/24]

V. A copy each (in English and Hindi) of the following papers: -

- (i) (a) Annual Report of the Kendriya Hindi Sansthan, Agra, Uttar Pradesh, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Kendriya Hindi Sansthan, Agra, Uttar Pradesh, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Sansthan.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 158/18/24]

- (ii) (a) Annual Report of the National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL), New Delhi, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the National Council for Promotion of Sindhi Language (NCPSL), New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Statement by Government accepting the above Report.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 53/18/24]

- (iii) (a) Annual Report of Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, for the year 2021-22.
- (b) Annual Accounts of the Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu, for the year 2021-22, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above University.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 75/18/24]

- (iv) (a) Annual Report of the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the Indian Institute of Science (IISc), Bengaluru, for the year 2022-23 and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Institute.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 159/18/24]

- (v) (a) Annual Report of the National Book Trust, India, New Delhi, for the year 2022-23.
- (b) Annual Accounts of the National Book Trust, India, New Delhi, for the year 2022-23, and the Audit Report thereon.
- (c) Review by Government on the working of the above Trust.
- (d) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) and (b) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 160/18/24]

- (vi) (a) Annual Report and Accounts of the Central Institute of Classical Tamil (CICT), Chennai, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Statement by Government accepting the above Report.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 71/18/24]

## Notifications of the Ministry of Road, Transport and Highways

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI HARSH MALHOTRA): Sir, I lay on the Table:-

(A) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road, Transport and Highways, under Section 10 of the National Highways Act, 1956:

-

- (1) S.O. 5452(E).., dated the 22<sup>nd</sup> December, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, along with delay statement.
- (2) S.O. 5468(E).., dated the 27<sup>th</sup> December, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, along with delay statement.
- (3) S.O. 5471(E).., dated the 27<sup>th</sup> December, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, along with delay statement.
- (4) S.O. 172(E).., dated the 15<sup>th</sup> January, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, along with delay statement.
- (5) S.O. 254(E).., dated the 18<sup>th</sup> January, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, along with delay statement.
- (6) S.O. 430(E).., dated the 2<sup>nd</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, along with delay statement.
- (7) S.O. 686(E).., dated the 13<sup>th</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (8) S.O. 692(E).., dated the 14<sup>th</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
- (9) S.O. 806 (E).., dated the 21<sup>st</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (10) S.O. 807(E).., dated the 21<sup>st</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
- (11) S.O. 808(E).., dated the 21<sup>st</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1760(E), dated the 13<sup>th</sup> May, 2016.
- (12) S.O. 832(E).., dated the 23<sup>rd</sup> February, 2024, amending the Principal

- Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
- (13) S.O. 833(E)., dated the 23<sup>rd</sup> February, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
  - (14) S.O. 1052(E)., dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (15) S.O. 1053(E)., dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (16) S.O. 1056(E)., dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (17) S.O. 1060(E)., dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (18) S.O. 1104(E)., dated the 6<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
  - (19) S.O. 1107(E)., dated the 6<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (20) S.O. 1335(E)., dated the 14<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (21) S.O. 1732(E)., dated the 16<sup>th</sup> April, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 689(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2011.
  - (22) S.O. 1762(E)., dated the 22<sup>nd</sup> April, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (23) S.O. 1985 (E)., dated the 14<sup>th</sup> May, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (24) S.O. 2263 (E)., dated the 13<sup>th</sup> June, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.
  - (25) S.O. 2264(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 380(E), dated the 24<sup>th</sup> January, 2019.
  - (26) S.O. 2266(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005.

[Placed in Library. For (1) to (26), See No. L.T. 161/18/24]

(B) A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Road, Transport and Highways, issues under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988:-

- (1) S.O. 5453(E), dated the 22<sup>nd</sup> December, 2023, entrusting certain sections of NH-748 in the State of Karnataka, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India, along with delay statement.

- (2) S.O. 5469(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2023, amending the Principal Notification No. S.O. 2866(E), dated the 1<sup>st</sup> September, 2017, along with delay statement.
- (3) S.O. 5470(E), dated the 27<sup>th</sup> December, 2023, entrusting certain sections of new NH-12 in the State of West Bengal, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India, along with delay statement.
- (4) S.O. 170(E), dated the 15<sup>th</sup> January, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 3512(E), dated the 23<sup>rd</sup> November, 2016, along with delay statement.
- (5) S.O. 171(E), dated the 15<sup>th</sup> January, 2024, entrusting certain sections of National Highways in the State of Andhra Pradesh, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India, along with delay statement.
- (6) S.O. 304(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2024, entrusting certain sections of the National Highways of various States, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India, along with delay statement.
- (7) S.O. 305(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2024, rescinding the Notification No. S.O. 3032(E), dated the 22<sup>nd</sup> June, 2018, with immediate effect, along with delay statement.
- (8) S.O. 306(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1457(E), dated the 9<sup>th</sup> May, 2017, along with delay statement.
- (9) S.O. 765(E), dated the 16<sup>th</sup> February, 2024, entrusting certain sections of NH-503D in the State of Punjab, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (10) S.O. 1050(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, entrusting certain sections of National Highways in the State of Andhra Pradesh, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (11) S.O. 1051(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 796(E), dated the 10<sup>th</sup> March, 2017.
- (12) S.O. 1054(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, rescinding the Notification No. S.O. 3965(E), dated the 31<sup>st</sup> October, 2019, with immediate effect.
- (13) S.O. 1055(E), dated the 5<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1055(E), dated the 12<sup>th</sup> March, 2020.
- (14) S.O. 1105(E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1521(E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2010.

- (15) S.O. 1106(E), dated the 6<sup>th</sup> March, 2024, entrusting certain sections of new NH-34 in the State of Uttar Pradesh, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (16) S.O. 1336(E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2024, entrusting certain sections of NH-31 in the State of Bihar, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.
- (17) S.O. 1761(E), dated the 22<sup>nd</sup> April, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 304(E), dated the 19<sup>th</sup> January, 2024.
- (18) S.O. 1984(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 2024, amending the Principal Notification No. S.O. 1426(E), dated the 5<sup>th</sup> May, 2017.
- (19) S.O. 2265(E), dated the 13<sup>th</sup> June, 2024, entrusting certain sections of NH-353I in the State of Maharashtra, as mentioned therein, to the National Highways Authority of India.

[Placed in Library. For (1) to (19), See No. L.T. 162/18/24]

#### **Report and Accounts (2022-23) of NIFT, New Delhi and related papers**

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्र मार्गेरिटा):** महोदय, मैं राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2006 की धारा 21 की उप धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (a) Thirty-Seventh Annual Report and Accounts of the National Institute of Fashion Technology (NIFT), New Delhi, for the year 2022-23, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Institute.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 163/18/24]

#### **#MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS - Contd.**

**श्री सभापति:** जो सतीश चंद्र दूबे जी के साथ हुआ, वह मेरे साथ भी हुआ था। कई बार वह कागज नहीं होता है, तो फिर ऐसा होता है। इनके मंत्री बनने के बाद जब मेरी इनसे चर्चा हुई, I can tell you that his performance will be one of the best. ये बहुत ही committed हैं, passionate हैं और अपनी बात को समझते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा व्यक्तित्व है, ये 9 बार तो

# Further Discussion continued from 02.07.2024.

असेम्बली में जीते हैं। Am I right? और यहाँ आए। आपने तो ऐसे बहुत मौके देखे होंगे कि कई बार कागज नहीं होता है, तो बहुत ही कम लोग उस बात को पढ़ पाते हैं। He is one of the Ministers, जिनसे मेरी चर्चा हुई। He is enormously talented and will go a long way. Mark my words. Now, we will take up Further Discussion on the Motion moved by Shri Sudhanshu Trivedi on the 28<sup>th</sup> June, 2024. On the 2<sup>nd</sup> July, 2024, Shri Jagat Prakash Nadda had concluded his speech while participating in the discussion. आपने और एलओपी ने बराबर टाइम लिया। मैंने पहली बार देखा कि हाउस के अन्दर कुछ lighter moments भी आए, कुछ fireworks भी हुए और intellectual issues भी आए। It was a soothing spectacle. This change must continue.

**विपक्ष के नेता (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** आज क्या होगा, किसने जाना? ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** खरगे जी, जब आप मेरे distinguished predecessor को - जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनके लेवल तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल है, जब आप उनको farewell address दे रहे थे, तब आपने कहा था कि "आगे मौसम कैसा आएगा, कितना सताएगा..।" ...(व्यवधान)... इमरान प्रतापगढ़ी ने वह आपको दे दिया, आपने पढ़ दिया और मेरा पदार्पण नहीं हुआ, आपने मेरा dossier लिख दिया। ऐसा मत कीजिए। ...(व्यवधान)...

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** सर, मैंने बंगाल की हिस्ट्री को लेकर बोला था, इसके लिए नहीं बोला था। ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** आप माननीय मुख्य मंत्री, वैस्ट बंगाल से पूछिए। हमारे संबंध ऐसे हैं कि उत्कृष्ट हैं, एक-दूसरे के प्रति सम्मानपूर्वक हैं। आप कभी उनसे बात कीजिए। जब अगली बार वे आएँगी, तब मैं आपको आमंत्रित करूँगा। किसी भी परिस्थिति के अन्दर संवैधानिक मर्यादा को लांघना मेरे मानस में नहीं है। यदि कभी गलती से ऐसा हो भी जाए, तो मैं तुरंत वापस आऊँगा।

कल आपका एक reaction आया, शायद आप मेरी भावना नहीं समझ पाए। मैं और आप एक ही वर्ग के हैं, उसकी चर्चा कर ही नहीं सकते। फिर कभी मैं आपके घर आकर आपसे बात करूँगा।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** सर, मैं खुद ही आपके घर आऊँगा। ...(व्यवधान)...

**श्री सभापति:** नहीं, सर।

**श्री मल्लिकार्जुन खरगे:** नहीं, नहीं। ...(व्यवधान)... आपने नये घर के बारे में नहीं बताया। आपने उधर के सब लोगों को बताया होगा, हम लोगों को नहीं बताया। आपका घर नया हो गया है। New house में entry हो गई है, गृह प्रवेश हो गया है। हम उसमें आएँगे, आपसे बात करेंगे।

**श्री सभापति:** माननीय सदस्यगण, मैं कहने के लिए थोड़ा मजबूर हो रहा हूँ कि जिस दिन मैं नये घर में गया, मैंने तीन ही लोगों को फोन किया और माननीय खरगे जी उनमें से एक थे। आप भूल गए। मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ, परन्तु आप चुनाव में व्यस्त थे। दूसरा, मैंने आपको यह भी कहा - आपको याद होगा कि मैंने कहा - आपके सुपुत्र, जो मंत्री हैं और रिश्तेदार जो चुनाव लड़ रहे थे, मैंने शुभकामनाएँ भी दी थीं। आप याद करिए, वरना पूरा हाउस समझेगा कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जो सम्पर्क में नहीं हूँ। मेरे लिए सभा के नेता और सदन के विपक्ष के नेता सर्वोपरि हैं और अभी तक इनको भी मैंने formally आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि आपसे चर्चा होनी है।

...(व्यवधान)... The Leader of the House, I would like to say that I will go by the diktat of the Leader of the Opposition. At a date and time chosen by him, we will meet at the new Vice-President Enclave. For the first time in this country, a dedicated residence, befitting the constitutional position the Vice-President holds, has been created. I will get in touch with you and have a date fixed.

I now call upon the Members whose names have been received for participation in the discussion. Shri Rwngrwa Narzary. You have three minutes.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI RAMDAS ATHAWALE): Sir...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No; I will go by the list.

SHRI RWNGWRA NARZARY (Assam): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address. I rise to speak in support of the Motion of Thanks.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*)

The President's Address to the joint sitting of both the Houses of Parliament can be called as visionary roadmap of Narendra Modi Government for *Viksit Bharat* carrying clear vision and direction for taking the country to a new dimension. I express our deep appreciation and gratitude to the hon. President of India, Shrimati Draupadi Murmu, for her humble Address to the joint sitting of both the Houses of Parliament.

I, on behalf of my Party, the United People's Party Liberal (UPPL), would like to congratulate the hon. Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, for his indomitable leadership enabling him to assume the third consecutive term as the Prime Minister of India. I express our deep appreciation and gratitude to the hon. President of India, Smt. Draupadi Murmu for her humble Address to the joint sitting of both the Houses of Parliament.



Hon. Deputy Chairman, Sir, on behalf of my Party, United People's Party Liberal (UPPL), I would like to congratulate hon. Prime Minister of India Shri Narendra Modi for his indomitable leadership enabling him to assume third consecutive term as the Prime Minister of India. I express my sincere gratitude and honour to him and his entire team of Government.

Sir, the Government of India led by Narendra Modi has left no stone unturned to touch every nook and corner of the country's needs of the people. The nation wanted Modi ji for the secure and developed Bharat and that is why the people of this great country, Bharat, once again, came out to elect the NDA Government, under the leadership of Shri Narendra Modi as the Prime Minister, for the third time.

Sir, I must appreciate the hon. Prime Minister, Modiji, for his comprehensive and inclusive policy towards the development of the North-Eastern Region of the country, which is reflected in the President's Address also.

During the last ten years of Government, Modiji's policy to bring sustainable peace in the northeast and accelerate the development simultaneously has been the priority. As a part of its priority, the Third Bodo Accord was signed in the year of 2020 through which Bodoland Territorial Region (BTR) was created and the Bodo Movement came to an end. Peace has been prevailing nowadays in the region. The Peace Bodo Accord has become torch bearer for resolving many disputes of northeast region prompting several militant and other organisations to join mainstream and come out with amicable agreement in the region.

Sir, in Assam, under the dynamic leadership of Dr. Hemanta Biswa Sarma, hon. Chief Minister of Assam, outstanding development works have been undertaken with a view to build Assam as one of the fifth developed States in the nation. People of Assam expressed and reaffirmed hope and aspiration upon Dr. Sarma by signifying their thumping support in the last Lak Sabha election, where 11 out of 14 seats won by the NDA under the leadership of Dr. Sarma.

Sir, Bodoland Territorial Region (BTR) was created under the provision of Sixth Schedule to the Constitution of India comprising near about four million people of various cast, creed and religion. The people of Bodoland, under the leadership of Sri Pramod Boro as Chief Executive Member, are living peacefully with harmony and integrity in the region after the Accord. (*Time-bell rings.*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RWNGWRA NARZARY: Sir, please give me 30 seconds. While supporting the Motion of Thanks on the President's Address, I would like to call upon the

Government of India to make it convenient to provide a little space for the accomplishment of Bodo Accord, 2020 in the Government's 100 days agenda.

Sir, under the Hydrocarbon Vision 2030, Shri Rameswar Teli, the then Minister of State for the Ministry of Petroleum and Natural Gas announced Government of India's decision to finance and support Bongaigaon Refinery (BGR) expansion from 2.7 to 5 million metric tonnes per annum, on 17<sup>th</sup> November 2021. *(Time-bell rings.)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI RWNGWRA NARZARY: Sir, please give me 30 seconds more.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Niranjan Bishi. You have five minutes' time. *...(Interruptions)...*

SHRI RWNGWRA NARZARY: I appeal to the Government of India to complete approval process for the BGR expansion as early as possible. With these few words, I conclude my speech. Thank you, Sir.

SHRI NIRANJAN BISHI (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Motion of Thanks on the President's Address.

महामहिम राष्ट्रपति जी केवल हमारे ओडिशा का गर्व और गौरव नहीं हैं, हमारे देश का भी गर्व और गौरव हैं। मैं प्वाइंट 16 से शुरू करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला था कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति समाज के निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर करती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक और गंभीर बात कही थी कि "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

सर, हमारे देश में 50.6 परसेंट शेड्यूल्ड ट्राइब्स और 33.3 परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स below poverty line है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के 68 परसेंट मेल और 49 परसेंट फीमेल लिटरेट हैं तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 51 परसेंट विमेन इलिटरेट हैं। इसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के 50 परसेंट मेल और 48 परसेंट फीमेल लिटरेट हैं तथा शेड्यूल्ड कास्ट की 52 परसेंट विमेन इलिटरेट हैं। हमारे देश में निचले तबके में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। जब आज़ादी के 75 साल बाद भी एससी-एसटी below poverty line में रहेंगे, इलिटरेट रहेंगे, तो निचले तबके के समाज की प्रगति कैसे होगी? मैं यह जानना चाहता हूँ कि निचले तबके के समाज की प्रगति कब होगी? एससी-एसटी कम्युनिटी कब तक देश की मुख्यधारा में शामिल होगी? इनको देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं? आखिर इसका

क्या कारण है कि एससी-एसटी कम्युनिटी आज तक देश की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सकी है?

हमने लिटरेसी के डेवलपमेंट के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हर ब्लॉक में स्थापना करने की मांग की है। हमने एससी-एसटी के हायर एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की डिमांड की, लेकिन वह भी पूरी होती नहीं है। सर, एससी-एसटी स्टूडेंट्स को ठीक टाइम में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। चाहे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वह ठीक टाइम में स्कॉलरशिप नहीं देती है। हमारे देश में 20,13,78,000 शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं और 10,22,81,000 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, यानी, 16.6% शेड्यूल्ड कास्ट्स और 8.6% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट्स को 15% रिजर्वेशन मिलता है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 7.5% मिलता है, जो 1.6% कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, बैंकिंग सेक्टर हो, कॉरपोरेशन हो, उनमें कांग्रेस के जमाने में special recruitment drive for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates होता था और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में एससी-एसटी कैंडिडेट्स को नौकरी मिलती थी, लेकिन अभी 10 साल में special recruitment drive for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates क्यों नहीं हुआ? वह होना चाहिए। अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को नौकरी नहीं मिलेगी, तो वे देश की मेनस्ट्रीम में कब शामिल होंगे?

सर, गुप डी की पोस्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट में भी होती हैं। गुप डी की पोस्ट्स पार्टिकुलरी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे में होती हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज में होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में होती हैं, लेकिन गुप डी की पोस्ट्स को abolish कर दिया गया है। जहां peon होते हैं, watchman होते हैं, night watchman होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, sweeper होते हैं, वहाँ उनकी पोस्ट्स को abolish कर दिया गया है। जिन पोस्ट्स पर 99 परसेंट एससीज-एसटीज काम करते थे, उनको जॉब मिलती थी, उन पोस्ट्स को abolish कर दिया गया है। उन्हें क्यों abolish किया गया है? क्या एससीज-एसटीज के लिए इनकी मंशा ठीक नहीं है? क्या गवर्नमेंट एससीज-एसटीज के विरोध में काम करती है? सर, हमारे देश में 95 particularly vulnerable tribal groups हैं, जिनकी जनसंख्या 10 करोड़, 43 लाख के भीतर 28 लाख है। जो particularly vulnerable tribal groups हैं, उनकी भाषा, बोली, धर्म, उनका जीवन, उनकी जीविका, उनकी प्रथा, परंपरा, जमीन और जंगल धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। सर, हमारी जो मुंडारी, भूमिज, होई, सोरा आदि आदिवासी भाषाएं हैं, उनको भी यह सरकार अनुसूची में शामिल नहीं करती है। 100 से भी अधिक जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। हाँ, हम क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के जन्मदिन को "आदिवासी गौरव दिवस" के रूप में मनाते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी, उसमें जन, जंगल... \*

---

\* Not recorded.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Niranjana Bishi ji. माननीय श्री रामजी, आपके तीन मिनट हैं।

**श्री रामजी** (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, राष्ट्रपति जी के भाषण में विकसित भारत की बात की गई, लेकिन विकसित भारत की बात तब तक अधूरी है, जब तक संविधान के चारों प्वाइंट्स, जो उसके प्रिम्बल में लिखे हैं, वे पूरे नहीं किए जाते। जस्टिस में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय आज भी इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को नहीं मिला। मान्यवर, इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो बिल पेंडिंग पड़ा है, उसे पूरा कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए। साथ ही, विकसित भारत की बात इस देश में तब तक नहीं हो सकती, जब तक हम शिक्षा की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जितनी भी इस देश के बाहर की कंट्रीज़ हैं, डेवलपड कंट्रीज़ हैं, वे एजुकेशन के दम पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दम पर आगे बढ़ी हैं, लेकिन आज शिक्षा का बाजारीकरण किया गया, शिक्षा को तमाम सरकारों ने गरीबों से पीछे धकेलने का काम किया। आज शिक्षा गरीबों से बहुत दूर होती नजर आ रही है, इस पर भी मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए।

साथ ही, जातिवाद एक बड़ा जहर है। जब तक हमारी सोच विकसित नहीं होगी, हम जातिवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। पूरे देश के अंदर जातिवाद की घटनाएं बढ़ीं, अत्याचार की घटनाएं बढ़ीं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक दलित युवक को थाने में और वहां पर जेल के अंदर पीट-पीटकर मार डाला गया। ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं। मान्यवर, एक दुर्भाग्य की घटना घटी। हरिद्वार के अंदर 13 साल की एक बच्ची के साथ कई लोगों ने बलात्कार किया। मान्यवर, ये घटनाएं दुखद हैं, इन पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए और देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से इस देश के अंदर दलित और आदिवासी लोग सरकारी ज़मीन पर मकान बना कर रहते हैं, उनके पास कोई कागज़ नहीं हैं। वे सदियों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार ने पिछले कई सालों से सरकारी ज़मीन खाली कराने के नाम पर बुल्डोज़र से मकान तोड़ दिए, जिससे वे बेचारे बेघर हो गए। दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों के मकान तोड़े गए। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार पूरे देश की है, जनता की है, चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों और चाहे वे पिछड़े समाज के हों। मान्यवर, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसान सम्मान निधि देना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो कृषि श्रमिक काम करते हैं, जिन्हें खेतिहर मज़दूर कहते हैं, वे सिर्फ दो-तीन महीने की income पर depend करते हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो खेतिहर मज़दूर हैं, कृषि श्रमिक हैं, उनको भी 'किसान सम्मान निधि' की तरह कृषि श्रमिक निधि देने का काम सरकार करे। साथ ही मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि एस.सी./एस.टी. के लोगों को आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? एस.सी./एस.टी. के लोगों को उनके पैर पर खड़ा करना पड़ेगा। कई सालों

से इस देश के अंदर एस.सी./एस.टी. के लोगों को कहीं पट्टे नहीं दिए गए, कहीं ज़मीन के पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर वर्ष 2007 से वर्ष 2012 के बीच बहन कुमारी मायावती जी ने साढ़े चार लाख हैक्टेयर ज़मीन एस.सी./एस.टी. और ओबीसी के भूमिहीन लोगों को देने का काम किया था। मैं यही बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।

साथ ही, अंत में, मैं वर्ष 2018 की घटना को बताना चाहता हूँ, जब एस.सी./एस.टी. एक्ट को खत्म किया गया, सुरक्षा कवच को खत्म किया गया, तब वहां आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में लाखों बच्चों के ऊपर मुकदमे किए गए, लेकिन सरकार से मैंने कई बार आग्रह भी किया है कि उन मुकदमों को खत्म कर दे। जब आपने बात को मान लिया है, एस.सी./एस.टी. कानून को वापस भी कर लिया है, तो उनके ऊपर लगे मुकदमे भी वापस कर लें, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

**श्री उपसभापति:** श्री संजय कुमार झा, आपके पास बोलने के लिए 5 मिनट का समय है।

**श्री संजय कुमार झा (बिहार):** धन्यवाद उपसभापति महोदय। यह मेरी मेडन स्पीच है, मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं अपने नेता नीतीश कुमार जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे उच्च सदन में भेजकर अपनी बात रखने का मौका दिया।

उपसभापति महोदय, अभी चुनाव हुआ और शायद देश में दूसरी बार किसी नेता के नेतृत्व में एनडीए ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। लोग कहते हैं कि 60 साल पहले नेहरू जी के समय में सरकार बनी थी, लेकिन यह unprecedented जीत हुई। मैं बिहार से आता हूँ। मैं बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग वहां 40 में से 30 सीट्स जीत कर आए हैं। आपकी सूचना के लिए बता दूँ कि बिहार में बहुत सारी लोक सभा सीट्स पर पुरुषों की तुलना में 10 परसेंट से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है। उसकी वजह यह है कि 17-18 साल में जो एनडीए सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, उसका प्रभाव अब ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2006 में बिहार में पहली बार पंचायत में 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया गया। यहां विरोधी दल के नेता बैठे हुए हैं। उससे पहले बिहार में पंचायत में दलित एवं अति पिछड़ों के लिए कोई आरक्षण नहीं था। वर्ष 2006 में जब एनडीए की सरकार आई, तब वहां दलित और अति पिछड़ों को पंचायत में आरक्षण मिला। मैं आपके संज्ञान में एक और विषय लाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय ने आपातकाल की चर्चा की, बिहार तो सबसे बड़ा ग्राउंड है आपातकाल पर चर्चा करने के लिए कि सबसे बड़ा मूमेंट बिहार से जय प्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आपातकाल के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन मैं रीसेंट बात की चर्चा करना चाहता हूँ। वह तो वर्ष 1975 की बात है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में बिहार में क्या हुआ। वर्ष 2005 में यूपीए की सरकार थी। फरवरी में वहां चुनाव हुआ। फरवरी में जब वहां चुनाव हुआ, तब वह हंग असेम्बली हुई। एक-दो महीने के बाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत लोगों का समर्थन मिल गया और अगले दिन वे सरकार फॉर्म करने वाले थे। उस समय बिहार के गर्वनर बूटा सिंह जी थे। रात में कैबिनेट की मीटिंग होती है। देर रात कैबिनेट की मीटिंग होती है। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय के राष्ट्रपति

मास्को में थे। माँस्को में फैक्स से कागज भेजकर साइन कराकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यह इनका संविधान के प्रति प्रेम है। मैं यहां उस समय की दो बातें क्वोट करना चाहता हूँ। एक उनके लॉ मिनिस्टर हंस राज भारद्वाज जी थे। उन्होंने कहा और मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ - Former Union Minister H.R. Bhardwaj on Thursday revealed that he was under tremendous pressure from the Manmohan Singh Government to get a favourable order from the Supreme Court, which was examining the UPA Government's decision to impose President's Rule in Bihar in 2005 to prevent the JD(U)-BJP combine from coming to power. Bhardwaj said he had even met the Chief Justice Y.K. Sabharwal, who headed the Constitution Bench, which dealt with the case to get a favourable judgment but could not summon the nerves to broach the topic. The five-Judge Bench had held that imposition of President's Rule was a misuse of Article 356 and was clearly politically motivated based on a report by the then Governor Buta Singh. The former Law Minister said that Justice Sabharwal was a family friend but was a very tough Judge. "I could not muster the courage to ask for any favour on the issue from Sabharwal when we met over a cup of coffee," he said at a function to inaugurate the Moot Court Hall of National Law University, Delhi, named after Late Justice Sabharwal. Finance Minister, Shri Arun Jaitley, who had attacked the UPA for imposing President's Rule in Bihar, was also present at the function. यह हंस राज भारद्वाज जी ने कहा था। मैं उस समय के राष्ट्रपति जी की किताब Turning Points: A Journey through Challenges by A.P.J. Abdul Kalam, से उन्हें क्वोट कर रहा हूँ। As soon as the verdict was known, I wrote a letter of resignation, signed it and kept it ready to be sent to the Vice-President, Shri Bhairon Singh Shekhawat, who was a seasoned politician and a lawyer. The Vice-President was away. Meanwhile, the Prime Minister wanted to see me for some other discussion. We met in my office in the afternoon. After finishing the discussion, I said that I have decided to resign from the post of President and showed him the letter. The Prime Minister was disturbed. The scene was touching and I do not want to describe it. वे मनमोहन सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। The Prime Minister pleaded that I should not do it at this difficult time. He said that as a result of the furore that would be created, even the Government might fall. उस वजह से मैंने इस्तीफा नहीं दिया। अब ये जो संविधान लेकर घूम रहे हैं, यह मैं बिहार की घटना बता रहा हूँ कि कैसे उनके जो लॉ मिनिस्टर थे, वे बोल रहे थे कि उन पर प्रेशर डाला गया कि जजमेंट अपने फेवर में लेकर आइए। कैसे रात में जाकर कलाम साहब से साइन कराकर इम्पोज़ किया गया और फिर कंस्टीट्यूशन बेंच ने जजमेंट दिया। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि सरकार कहां से चलती थी।...(व्यवधान)...

**श्री उपसभापति:** संजय जी की मेडन स्पीच है।

**श्री संजय कुमार झा:** सरकार कहां से चलती थी। एनएसी बना हुआ था। वे सारी सुपर पीएम की पावर लेकर बैठी हुई थीं, सारी डायरेक्शन वहीं से होती थी और उन्होंने ही इम्पोज करवाया और आज ये लोग संविधान की बात करते हैं!

सर, मैं एक विषय और टच करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि आजकल जो उस हाउस में प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे हमेशा जातीय जनगणना की बात करते हैं। बिहार पहली स्टेट है, जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना पर अपना काम कर चुकी है और जातीय जनगणना की फाइंडिंग आ गयी है। उस पर आरक्षण बढ़ाना था, उस पर काम कर लिया गया है। अभी हाई कोर्ट में रोक लग गई है, इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। जो गरीबों की संख्या थी उसकी भी काउंटिंग कर ली गई है। यह एनडीए सरकार में हुआ है। यह जेडीयू-बीजेपी की कैबिनेट के द्वारा किया गया और वे इतने दिन सरकार में रहे, कहीं पर जातीय जनगणना नहीं हुई है। कर्णाटक में इन्होंने किया भी, तो आज तक उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। अकेले बिहार की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है।

सर, मैं एक-दो विषय और टच करना चाहता हूं। नीट के मामले में बिहार पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। बिहार पुलिस ने ही उसको पकड़ा उसको unearth किया है। कल इसके ऊपर प्रधान मंत्री जी की भी बात आ गई है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और हम लोग भी अपेक्षा करते हैं कि अभी सीबीआई के पास मैटर है, इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी।

एक विषय और है कि कितना बदलाव इस सरकार के द्वारा आया है और लोगों का विश्वास जगा है। मैं एक सेक्टर को टच करके अपनी बात खत्म करूंगा और वह बैंकिंग सेक्टर है। यूपीए के समय में फोन बैंकिंग होती थी, आप फोन कर दीजिए, बड़ा-बड़ा लोन मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार में, मैं डेटा देख रहा था, करीब 52 करोड़ जनधन खाते खुले, 26 लिस्टेड बैंकों में 14 निजी, 7 पब्लिक और 5 छोटे फाइनेंस बैंक हैं, जिनका मार्च, 2024 तक NPA less than one per cent है। मोदी जी प्रधान मंत्री बने, उस समय demat account 2 करोड़ थे और आज demat account 15.2 करोड़ हैं। वर्ष 2024 में हर महीने 30 लाख नए demat account खुल रहे हैं। Digital transaction — यह इंडिया में ninety fold बढ़ा है 10 साल में, 90 per cent, ninety fold बढ़ा है। Indian account में 46 per cent of all digital payment in the world and UPI transaction may now account 80 per cent of digital payment in India. 2012-13 में total digital payment 162 करोड़ altogether और 2023-24 यह 14,726 करोड़ digital payment हुआ है। **...(समय की घंटी)...** लोगों का banking sector में कितना confidence आया है, यह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था।

अंत में, दो बातें और रखकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं, आप बिहार को जानती हैं और उत्तर बिहार में, खासकर के वहां जो बाढ़ की समस्या है, उसको लेकर उन्होंने personal initiative लिया है, उसके permanent solution के लिए, जो कि एक बड़े chunk को impact करता है। उन्होंने personal initiative लेकर अपने office में meeting करके एक team बनाई है, जो constitute भी हो गई है, जो बिहार जा रही है और इस पर जल्दी ही काम शुरू होगा। इससे एक बड़ा काम बिहार के लिए हो जाएगा, अगर इसका कोई solution निकल जाता है तो। दूसरा, हमारे सदन के नेता बैठे हुए हैं, नड्डा साहब, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं **...(समय की घंटी)...** मैं निवेदन करूंगा, दरभंगा AIIMS इन्हीं

का दिया हुआ है, आप ही का दिया हुआ है, वहां पर जगह तय हो गई है, उसका अगर fast pace पर काम शुरू हो जाएगा, तो इससे उत्तर बिहार के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। यही बात आपके बीच में रखते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री उपसभापति:** बहुत-बहुत धन्यवाद संजय कुमार झा जी।

**श्री दिग्विजय सिंह**(मध्य प्रदेश): आपने बिहार को स्पेशल कैटेगरी देने की बात....

**श्री उपसभापति:** माननीय दिग्विजय सिंह जी, please take your seat. ...*(Interruptions)*... श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, आप पांच मिनट बोलिएगा। ...**(व्यवधान)**... आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...**(व्यवधान)**... please take your seat. ...*(Interruptions)*...

**श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह** (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस सदन में तीन दिनों से चर्चा चल रही थी, तो मैंने नेता प्रतिपक्ष का भाषण सुना और नेता सदन का भी भाषण सुना। मैं तो किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि सरकार किसकी बनी है। वहां से ऐसे भाषण आए कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं, बल्कि इंडी एलाइंस की सरकार बनेगी। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Please seat पर बैठकर मत बोलिए। ...**(व्यवधान)**... सीट पर बैठकर मत बोलिए।

**श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह:** जिस तरह का इनका उद्बोधन रहा है... उपसभापति महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहता हूँ, ये जो सदमे में हैं रिजल्ट के बाद से, देश का भविष्य और अच्छा होगा और ये लोग सदमे से निकलें। उनको साफ तौर से पता चलना चाहिए - मैं समझ सकता हूँ कि वे सदमे में क्यों हैं? वे सदमे में इसलिए हैं, क्योंकि साठ साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एक सरकार बनकर आई है। इनको सदमा और इतनी तकलीफ इसलिए है कि यह कैसे हो सकता है कि कोई नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, एक पिछड़ा, गरीब और चाय वाले का बेटा तीसरी बार इस देश का प्रधान मंत्री बन सकता है! महोदय, इसीलिए इन्हें बहुत चिंता सता रही है और ये जब तक इस सदमे से नहीं निकलेंगे समस्या होगी। हमने जिस तरह की चर्चाएं इस हाउस में देखी हैं, उनके लिए मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि इनको एक बार फिर से रिजल्ट को अच्छी तरह से परख लेना चाहिए। देश में जो रिजल्ट आया है, उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं, जो सिर्फ 18 परसेंट होता है। इनको 99 सीटें जीतने पर इतना घमंड है। आप यह समझिए कि अगर 150 सीटें जीत ली होतीं, तो कितना घमंड होता! इन्हें 99 सीटें जीतने पर इतना घमंड है, लेकिन हमारे लिए बताते हैं कि हमें घमंड नहीं होना चाहिए।

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)



सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इतनी बार प्रभु श्रीराम का नाम लिया, अयोध्या का नाम लिया। इलेक्शन से पहले तक मंदिर जाने पर कई लोगों को पार्टियों से निकाल दिया जाता था, भगवान राम का नाम लेने से डरते थे, लेकिन प्रभु राम की लीला देखिए कि प्रभु राम ने पाँच-सात सीटें क्या जिता दीं, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम और अयोध्या का ही नाम ले रहे हैं। यह लीला है प्रभु श्रीराम की। मैंने साफ तौर से कहा है - अभी इलेक्शन की ही चर्चा हो रही थी, इलेक्शन में सिर्फ लोक सभा की ही जीत नहीं हुई है, इन्हें ओडिशा में नंबर देखने चाहिए, इन्हें आंध्र प्रदेश में देखना चाहिए, इन्हें अरुणाचल प्रदेश में देखना चाहिए, सिक्किम में देखना चाहिए कि इनकी कितनी बड़ी हार हुई है। मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूँ कि जब गाँधी जी ने तीन बंदरों के बारे में जिक्र किया था कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो और बुरा न बोलो, तब उन्होंने इस बात के लिए मना नहीं किया था कि अच्छी चीजें न देखो, अच्छी चीजों के बारे में न बोलो और अच्छी बातों के बारे में न सुनो। दिक्कत यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, उन्हें यह संकट है कि सरकार कैसे बनी है और कैसे बन गई। भारतीय जनता पार्टी जो साफ तौर से कहती है, एनडीए कहता है, वह करके दिखाता है। गरीबों के लिए हमने सिर्फ नारे नहीं दिए हैं कि गरीबी हटाओ, बल्कि आज हमने गरीब को सहारा दिया है। इस सरकार ने गरीब को सहारा दिया है और राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में साफ तौर से इसका जिक्र भी किया है। आपने हमेशा देखा है, हमारे विपक्ष के तमाम नेताओं ने साफ तौर से कहा है कि यह सरकार अमीरों के लिए है। अगर आज गरीबों को 5 करोड़ आवास मिलते हैं..(व्यवधान).. ऐसी बात है और अगर कांग्रेस पार्टी टीका-टिप्पणी करना चाहती है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, पर इतना साफ कहना चाहता हूँ कि जब उधर था, तो लीडर ही था, \* नहीं था, अगर इधर भी हूँ, तो लीडर हूँ, \* नहीं हूँ। ..(व्यवधान).. ये तीसरी बार क्यों वापस आए? हम तीसरी बार क्यों आए? हम इसलिए आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के बारे में सोचा, दलितों के बारे में सोचा, पिछड़ों के बारे में सोचा। आज 4-5 करोड़ आवास गरीबों को दिए गए हैं..(समय की घंटी).. और फिर से 3 करोड़ आवास देने वाले हैं। आज 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है। मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इसी में sum-up करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, आज संविधान की बात हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि 75 साल बाद आज विपक्ष को अमृत काल में कम से कम काँस्टीट्यूशन को दिखाने की ताकत तो आई, क्योंकि उन्होंने उसे आज तक फॉलो नहीं किया है। ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Thank you.

**श्री कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह:** और नेता पक्ष ने बहुत साफ तरीके से उसका जवाब दिया था। मैं अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देश ने आपको विपक्ष में बैठने का मौका

\* Expunged as ordered by the Chair

दिया है, आप इस देश को विकसित बनाने के लिए मिलकर कार्य करें। सभापति जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, Dr. K. Laxman.

**डा. के. लक्ष्मण** (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, आपको इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के इस महत्वपूर्ण अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण इसलिए है, क्योंकि यह मोदी जी की सरकार के दस सालों के अद्भुत कार्यों का एक विवरण ही नहीं है, बल्कि इसमें आने वाले स्वर्णिम काल, विकसित भारत के संकल्प का भी उल्लेख किया गया है। सभापति जी, 2024 के चुनाव की प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि लोक सभा चुनाव के साथ चार राज्यों का भी चुनाव हुआ था। *Bharat* being one of the oldest democratic countries in the world, I feel proud that *Bharat* is the mother of democracy. छः दशकों के बाद मोदी जी की सरकार को यह तीसरी बार जनादेश प्राप्त हुआ है। ऐसा लगभग छः दशकों के बाद, 1960 के बाद हुआ है। नेहरू जी तीसरी बार प्रधान मंत्री बने थे। उनके बाद नेहरू परिवार के अनेक सदस्य प्रधान मंत्री बने थे, मगर किसी को भी तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। जो जनादेश इस चुनाव में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही तीसरी बार प्रधान मंत्री बन सके हैं। लगभग 40 साल से बीजेपी के अलावा कोई दल 240 सीटें पाता नहीं दिखता है, फिर भी आज हमारे विपक्ष के नेता जश्न मना रहे हैं। आज एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद भी बीजेपी को अकेले 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। एनडीए सरकार को 293 सीटों के साथ बहुमत मिलने के बावजूद भी, जिन्हें आज 100 सीटों की संख्या भी प्राप्त नहीं हुई, वे आज हमारे एनडीए गठबंधन के साथ तुलना करना चाहते हैं और जश्न मना रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारी 240 सीट्स आई हैं, उसके मुकाबले पूरा इंडिया गठबंधन मिलाने के बावजूद भी 233 सीट्स ही बनती हैं, मगर हमारे विपक्ष के नेता बार-बार बता रहे हैं कि आप इस चुनाव में हार गए हैं, क्योंकि आपने 400 पार का जो नारा दिया था, वह प्राप्त नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पैरेंट्स अपने लड़के को परीक्षा में 100 मार्क्स प्राप्त करने का लक्ष्य देते हैं, तो परीक्षा में उसके 90 मार्क्स आने के बाद, हमारे कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि यह बच्चा फेल हो गया है। एक लड़का 100 मार्क्स के लिए परीक्षा में... ..(व्यवधान)... सभापति महोदय, दूसरी ओर एक लड़का, जो 100 मार्क्स के लिए परीक्षा में हाजिर होता है, वह सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स प्राप्त होने के बाद समझता है कि परीक्षा में पास हो गया है।

12.00 P.M.

मैं विपक्ष के नेता को बताना चाहता हूँ कि आज लगातार तीन चुनावों 2014, 2019 और 2024 में कांग्रेस को जो सीट्स प्राप्त हुई - आज अकेली भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट्स प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनको 200 सीट्स भी प्राप्त नहीं हुई। अगर बच्चा एक बार फेल हो गया, तो समझ सकते

हैं और उसको सप्लिमेंटरी एग्जाम में बिठा सकते हैं। मगर कांग्रेस नेता के नेतृत्व में लगातार तीन बार फेल होना, यह कांग्रेस से ही संभव हुआ है और आपके कांग्रेस के नेता से ही संभव हुआ है। आप सप्लिमेंटरी एग्जाम लिखने के बाद और ग्रेस देने के बाद भी आज पास नहीं हुए। मतलब आपको अपने नेतृत्व के बारे में सोचना पड़ेगा। ...**(व्यवधान)**... मोदी जी 60 साल के बाद तीसरी बार प्रधान मंत्री बने हैं। लगभग 40 साल, 1980 के बाद आज तक किसी भी दल को 200 सीट्स प्राप्त नहीं हुई हैं, चाहे आपका यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, सिर्फ बीजेपी को 240 सीट्स मिलना मामूली बात नहीं है। देश में लोक सभा चुनावों के साथ ही चार राज्यों में भी चुनाव हुए। आंध्र प्रदेश में एनडीए की एक लैंडस्लाइड विक्टरी हुई। इतिहास में पहली बार ओडिशा में बीजेपी सरकार में आई है। सिक्किम में भी पहली बार एनडीए सरकार बनी और अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इतना ही नहीं, जहां कांग्रेस शासन में है - हिमाचल प्रदेश, कर्णाटक और तेलंगाना - मैं बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस का सफाया हो गया, चारों सीट्स बीजेपी ने हासिल की। कर्णाटक में कांग्रेस सरकार होने के बाद भी आज एनडीए ने 19 सीट्स प्राप्त कीं और कांग्रेस को सिर्फ 9 सीट्स प्राप्त हुईं। मैं तेलंगाना से आता हूँ। वहां आपकी सरकार बने पांच महीने भी नहीं हुए हैं और वहां लोगों को गारंटी के नाम पर गुमराह किया गया। वहां आज लोग तड़प रहे हैं और वे बदलाव चाहते हैं। वे विकल्प के रूप में बीजेपी की ओर देख रहे हैं। तेलंगाना में 8 सीट्स प्राप्त करना और 35 प्रतिशत वोट हासिल करना बीजेपी के लिए संभव हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी तेलंगाना में चुनाव होंगे, वहां जरूर डबल इंजन की सरकार बनेगी। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सीट्स हासिल की हैं। चुनाव के समय मेरा तेलंगाना के अलावा कई राज्यों में प्रवास रहा है। जहां भी देखो कांग्रेस के दो ही नारे थे - संविधान और आरक्षण का मुद्दा। मैं आरक्षण के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस को बात करने का कोई नैतिक हक नहीं है। मोदी जी की सरकार में 10 साल के अंदर कोई आरक्षण नहीं घटा है। आज मोदी जी ने एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। आप जो असंभव मानते थे, उसे संभव करके दिखाया। आपने यूपीए में 10 साल तक रहने के बाद भी आरक्षण नहीं दिया। यह अलग आरक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं एससी, एसटी, ओबीसी के अलावा सवर्णों के लिए, जो गरीब परिवार के थे, उनको भी आर्थिक रूप से अलग आरक्षण दिया। इसके अलावा 10 परसेंट ईडब्ल्यूएस को भी दिया गया। इतना ही नहीं, जहां 70 साल से आरक्षण नहीं था, वहां जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पहली बार एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है - यह मोदी जी की सरकार है।

सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने दुष्प्रचार किया और फेक वीडियो भी बनाए। आपने प्राइम मिनिस्टर का फेक वीडियो बनाकर चुनाव के समय में दुष्प्रचार किया। उसके बाद गृह मंत्री का भी आरक्षण के बारे में फेक वीडियो बनाकर कांग्रेस के सोशल हैंडल के माध्यम से दुष्प्रचार के बाद भी आज एनडीए को जनादेश दिया गया। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार का जो संकल्प है - विकसित भारत, लोगों ने आज विकसित भारत के अनुकूल जनादेश दिया है।

इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, hon. Prime Minister to reply to the discussion.

**प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी):** आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए मैं भी इस चर्चा में शामिल हुआ हूँ। राष्ट्रपति महोदया के भाषण में देशवासियों के लिए प्रेरणा भी थी, प्रोत्साहन भी था और एक प्रकार से सत्य मार्ग को पुरस्कृत भी किया गया था। आदरणीय सभापति जी, पिछले दो-ढाई दिन में इस चर्चा में करीब 70 माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं। इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण को व्याख्यायित करने में आप सभी माननीय सांसदों ने जो योगदान दिया है, इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, भारत की आजादी के इतिहास में हमारी संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा में बहुत दशकों बाद देश की जनता ने एक सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। 60 साल के बाद यह हुआ है कि 10 साल के बाद किसी एक सरकार की फिर से वापसी हुई है। मैं जानता हूँ कि भारत के लोकतंत्र की 6 दशक के बाद आई हुई यह घटना असामान्य घटना है। कुछ लोग जान-बूझ कर उससे अपना मुँह फेर कर बैठे रहे, कुछ लोगों को समझ नहीं आया और जिनको समझ आया, उन्होंने उस दिशा में हो-हल्ला किया, ताकि देश की जनता की इस विवेक बुद्धि पर, देश की जनता के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कैसे छाया कर दी जाए, कैसे उसको ब्लैक आउट किया जाए, इसकी कोशिश हुई। लेकिन मैं पिछले दो दिनों से देख रहा हूँ कि आखिर तक पराजय भी स्वीकार हो रही है और दबे मन से, कम मन से विजय भी स्वीकार हो रही है।

आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब नतीजे आए, तब से हमारे एक साथी की तरफ से - मैं देख रहा था कि उनकी पार्टी उनका समर्थन तो नहीं कर रही थी, लेकिन वे अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। मैं कहता हूँ कि वे जो कहते थे, उसके लिए उनके मुँह में घी-शक्कर। यह मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बार-बार ढोल पीटा था कि यह एक-तिहाई सरकार है। इससे बड़ा सत्य और क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 साल और बाकी हैं, तो एक-तिहाई हुआ है। ...**(व्यवधान)**... एक-तिहाई हुआ है, दो-तिहाई बाकी है और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी के लिए उनके मुँह में घी-शक्कर! ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, 10 वर्षों के अखंड, एकनिष्ठ और अविरत सेवाभाव से किए हुए कार्य को देश की जनता ने जी भर कर समर्थन दिया है। ...**(व्यवधान)**... देश की जनता ने आशीर्वाद दिये हैं।

आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव में देशवासियों की विवेक, बुद्धि पर हमें गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा को परास्त कर दिया है। ...**(व्यवधान)**... देश की जनता ने परफॉर्मेंस को प्राथमिकता दी है। देशवासियों ने भ्रम की राजनीति को टुकराया है और भरोसे की राजनीति पर विजय की मुहर लगाई है। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, हम संविधान के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यह पड़ाव इस सदन के लिए भी विशेष है, क्योंकि इसे भी 75 साल हुए हैं और इसलिए यह एक सुखद संयोग है। आदरणीय सभापति जी, मेरे जैसे बहुत से लोग इस देश के सार्वजनिक जीवन में हैं, जिनके परिवार में कोई गाँव का सरपंच भी नहीं रहा है, गांव का प्रधान भी नहीं रहा है, किसी का राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन आज अनेक महत्वपूर्ण पदों पर पहुँच कर वे देश की सेवा कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसने हम जैसे लोगों को अवसर दिया है। ...**(व्यवधान)**... मेरे जैसे अनेक ऐसे लोग हैं, जिनको बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के कारण यहाँ तक आने का अवसर मिला है और जनता जनार्दन ने उस पर मुहर लगाई तथा हमें तीसरी बार आने का मौका मिल गया। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, संविधान हमारे लिए कोई आर्टिकल्स का कम्पाइलेशन मात्र नहीं है, हमारे लिए उसकी स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान हैं। हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति-निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट-हाउस का काम करता है, दिशा-दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है।

आदरणीय सभापति जी, मुझे याद है कि जब लोक सभा में हमारी सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाएँगे, तो मैं हैरान हूँ कि जो आज संविधान की प्रति लेकर कूदते रहते हैं, दुनिया में लहराते रहते हैं, उन लोगों ने इसका यह कह कर विरोध किया था कि 26 जनवरी तो है, तो यह संविधान दिवस क्यों लाए हैं!...**(व्यवधान)**... आज संविधान दिवस के माध्यम से देश के स्कूल, कॉलेजों में संविधान की भावना, संविधान की रचना में किसकी क्या भूमिका रही है, देश के गणमान्य महापुरुषों ने संविधान के निर्माण में किन कारणों से कुछ चीजों को छोड़ने का निर्णय किया, किन कारणों से कुछ चीजों को स्वीकार करने का निर्णय किया - इसके विषय में हमारे स्कूल, कॉलेज में विस्तार से चर्चा हो, निबंध स्पर्धाएँ हों, चर्चा सभाएँ हों, ताकि संविधान के प्रति व्यापक रूप से आस्था का भाव जगे और संविधान के प्रति समझ विकसित हो। देशवासियों के लिए आने वाले पूरे कालखंड में संविधान हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा रहे, इसके लिए हम कोशिश करते रहे हैं। अब जब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमने इसे एक जन-उत्सव के रूप में, राष्ट्रव्यापी उत्सव मनाने का तय किया है। ...**(व्यवधान)**... इससे देश के कोने-कोने में संविधान की भावनाओं को, संविधान के पीछे जो मकसद है, उसके विषय में भी देश को अवगत कराने का प्रयास हो। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हमें तीसरी बार जो अवसर दिया है, वह अवसर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया है। इस यात्रा को मजबूती देने के लिए, इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हमें देश के कोटि-कोटि जनों ने आशीर्वाद दिया है। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, यह चुनाव 10 वर्ष की सिद्धियों पर तो मुहर है ही, लेकिन इस चुनाव में भविष्य के संकल्पों के लिए भी देश की जनता ने हमें चुना है, क्योंकि देश की जनता का एकमात्र भरोसा हम पर होने के कारण आने वाले सपनों, संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हमें अवसर दिया है। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, देश भली-भाँति जानता है कि देश ने पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुँचाने में सफलता पाई है।...(व्यवधान)... जैसे-जैसे नंबर निकटता की सिद्धि की तरफ पहुँचता है, एक की तरफ पहुँचता है, तो चुनौतियाँ भी बढ़ती हैं। कोरोना के कठिन कालखंड के बावजूद, संघर्ष की वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी, तनाव के वातावरण के बावजूद भी हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से आज विश्व में पाँच नंबर पर पहुँचाने में सफल हुए हैं।...(व्यवधान)... इस बार देश की जनता ने हमें पाँच नंबर से तीन नंबर की इकोनॉमी पर पहुँचाने के लिए जनादेश दिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि इस देश की जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, हम भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के टॉप तीन में पहुंचाकर रहेंगे।...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूँ कि यहां कुछ ऐसे विद्वान हैं, जो यह मानते हैं कि इसमें क्या है, यह तो होने ही वाला है, यह तो अपने आप तीसरे नंबर पर पहुँचने वाली है, यह तो अपने आप हो ही जाएगा। ऐसे विद्वान हैं। अब ये लोग ऐसे हैं, जिन्होंने ऑटो पायलट मोड पर या रिमोट पायलट मोड पर सरकार चलाने का काम किया है, इसलिए ये कुछ करने-धरने में विश्वास नहीं करते हैं। ये कुछ करने-धरने में विश्वास नहीं करते हैं, ये इंतजार करना जानते हैं, लेकिन हम परिश्रम में कोई कमी नहीं रखते हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने जो किया है, हम आने वाले वर्षों में उसकी गति भी बढ़ाएंगे, उसका विस्तार भी बढ़ाएंगे। उसमें गहराई भी होगी, ऊंचाई भी होगी और हम इस संकल्प को पूरा करेंगे।...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, चुनाव के दरमियान मैं देशवासियों को कहता था कि जो 10 साल हमने काम किया है, हमारे जो सपने और संकल्प हैं, उसके हिसाब से तो यह appetizer है, main course तो अभी शुरू हुआ है। आदरणीय सभापति जी, आने वाले पाँच साल मूल सुविधाओं के saturation के हैं और एक सामान्य नागरिक की जो रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं होती हैं, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जिन व्यवस्थाओं की, जिन सुविधाओं की, जिस प्रकार की governance की आवश्यकताएं होती हैं, हम इन मूलभूत सुविधाओं के saturation के योग के रूप में उनको परिवर्तित करना चाहते हैं।...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, please allow the LoP to speak.

**श्री नरेन्द्र मोदी:** आदरणीय सभापति जी, आने वाले पाँच वर्ष गरीबों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के हैं।...(व्यवधान)... आने वाले पाँच वर्ष गरीबी के खिलाफ गरीबों की लड़ाई के हैं। मैं यह मानता हूँ कि गरीब जब गरीबी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, तो गरीबों की गरीबी के खिलाफ की लड़ाई सफलता को प्राप्त करती है। इसलिए आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ लड़ाई के निर्णायक वर्ष होंगे...(व्यवधान)... और यह देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजयी होकर रहेगा।...(व्यवधान)... मैं यह पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ।...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, जब हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तब इसका लाभ, इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। विकास के, विस्तार के अनेक

अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। इसलिए जब हम दुनिया की तीसरे नम्बर की इकोनॉमी बनेंगे, तब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव तो होगा, साथ ही वैश्विक परिवेश में भी अभूतपूर्व प्रभाव पैदा होने वाला है।

आदरणीय सभापति महोदय, हम आने वाले कालखंड में नए स्टार्टअप्स का, नई कम्पनियों का वैश्विक उभार देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कालखंड में हमारी टियर-2, टियर-3 सिटीज़ भी growth engine की भूमिका में देश में बहुत बड़ा contribution करने जा रही हैं।

आदरणीय सभापति जी, यह शताब्दी technology driven शताब्दी है। इसलिए हम कई नए सेक्टरों में नए फुटप्रिंट्स भी अवश्य रूप से देखेंगे। ...**(व्यवधान)**... महोदय, आने वाले 5 साल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तेजी से बदलाव आने वाला है ...**(व्यवधान)**... और इसका लाभ भारत के कोटि-कोटि जनों को जल्द से जल्द मिले, उस दिशा में हम गम्भीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति महोदय, भारत की विकास यात्रा में हमारे छोटे शहर, ...**(व्यवधान)**... चाहे खेल जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे innovation हो, चाहे पेटेंट की रजिस्ट्री हो ...**(व्यवधान)**... मैं सब देख रहा हूँ कि हमारे छोटे-छोटे शहर, हज़ारों की तादाद में शहर भारत में विकास का एक नया इतिहास रचने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारत की विकास यात्रा में 4 प्रमुख स्तम्भ हैं ...**(व्यवधान)**... उनका सशक्तीकरण, उनको अवसर ...**(व्यवधान)**... ये बहुत बड़ी ताकत देने वाले हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदय, वे हमारे देश के किसान, हमारे देश के गरीब, हमारे देश के युवा और हमारे देश की नारी शक्ति हैं। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति महोदय, हमने हमारी विकास यात्रा में, हमारा जो फोकस है ...**(व्यवधान)**... उसको रेखांकित किया है। ...**(व्यवधान)**... सभापति जी, यहां पर कई साथियों ने खेती और किसानों को लेकर, हरेक ने विस्तार से अपने विचार रखे हैं और सकारात्मक रूप से अनेक बातें भी रखी हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं किसानों को लेकर सभी सदस्यों का और उनकी भावनाओं का आदर करता हूँ। बीते दस वर्ष में, हमारी खेती हर प्रकार से लाभकारी हो, किसान के लिए लाभकारी हो, उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया है। अनेक योजनाओं से उसको हमने ताकत देने का प्रयास किया है। चाहे फसल के लिए ऋण हो, लगातार नए बीज किसानों के लिए उपलब्ध हों, खाद की उचित कीमत हो और फसल बीमा का लाभ पहले की सारी नफरतें दूर करके किसानों को सरलता से उपलब्ध हो - ऐसी व्यवस्था हमने की है। ...**(व्यवधान)**... चाहे एमएसपी पर खरीद की बात हो, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर किसानों को लाभ पहुंचाया है। एक प्रकार से बीज से बाजार तक हमने किसानों के लिए हर व्यवस्था को बहुत माइक्रो प्लानिंग के साथ मजबूती देने का भरपूर और भरसक प्रयास किया है, हमने व्यवस्था को चाक-चौबंद किया है। ...**(व्यवधान)**...

आदरणीय सभापति जी, पहले हमारे देश में छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, लोन पाना करीब-करीब न के बराबर था, बहुत मुश्किल था, जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक थी। आज हमारी नीतियों के कारण किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण ...**(व्यवधान)**... हमने किसानों को एक व्यापक स्वरूप में देखा है और उस व्यापक स्वरूप में हमने पशुपालकों और

मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मुहैया कराया है। इसके कारण हमारे किसानों के खेती के काम को, उसके विस्तार को भी मजबूती मिली है - उस दिशा में भी हमने काम किया है।...(व्यवधान)...

महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में दस साल में एक बार किसानों की कर्ज माफी के बहुत ढोल पीटे गए और बढ़-चढ़कर बातें बताकर किसानों को गुमराह करने का भरसक प्रयास किया गया।...(व्यवधान)... आज, 60 हजार करोड़ की कर्ज माफी का बहुत हल्ला मचाया गया और एक अनुमान था कि उसके लाभार्थी देश के तीन करोड़ गरीब किसान थे। सामान्य गरीब, छोटे किसान का तो उसमें नामो-निशान नहीं था, जिसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनकी योजना में उसकी कोई परवाह नहीं थी और उन तक कोई लाभ पहुंच भी नहीं पाया था।

आदरणीय सभापति जी, जब किसान कल्याण हमारी सरकार के हृदय में, केंद्र में हो, तो नीतियां कैसे बनती हैं, कल्याण कैसे होता है, लाभ कैसे पहुंचता है, उसका मैं इस सदन को एक उदाहरण देना चाहता हूं।...(व्यवधान)...

आदरणीय सभापति जी, हमने 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान योजना' चलाई और पी.एम. किसान सम्मान योजना का लाभ 10 करोड़ किसानों को हुआ है।...(व्यवधान)...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): Chairman, Sir...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I have to go by the rules. You are aware of the rules. ...*(Interruptions)*... This conduct is not appropriate. I strongly condemn this unparliamentary practice. ...*(Interruptions)*... I strongly condemn degeneration of the House. Please take your seats. ...*(Interruptions)*... I call upon the Members to take their seats. ...*(Interruptions)*... It is unbecoming of your conduct. ...*(Interruptions)*...

*(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)*

**श्री नरेन्द्र मोदी:** पिछले 6 साल में तीन लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दे चुके हैं।...(व्यवधान)... आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती है।...(व्यवधान)... सत्य का सामना करने के लिए उनके पास हौसले नहीं हैं, इतनी चर्चा के बाद भी उनमें उठाए गए सवाल को सुनने की हिम्मत नहीं है। वे अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं।...(व्यवधान)... वे अपर हाउस की महान परम्परा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने उनको हर तरह से इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली-मोहल्ले में चीखने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं है। नारेबाजी, हो-हल्ला और मैदान छोड़कर भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ है।



### OBSERVATIONS BY THE CHAIR

**श्री सभापति:** माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण को देखकर मैं दुखी हूँ। शासन 6 दशक के बाद तीसरे निरंतर लगातार काल में है। मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना रोक-टोक के बोलने दीजिए। मैंने उनको पूरा अवसर दिया। आज वे सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, बल्कि भारतीय संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है, जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है कि House of Elders, the Upper House, हमें देश का मार्गदर्शन करना है, मैं उनके आचरण की भर्त्सना करता हूँ। देश के 140 करोड़ लोग इससे आहत होंगे। सदन का मतलब है कि जब आपने अपनी पूरी बात कह दी, तो सत्ता पक्ष की बात सुनो।

माननीय सदस्यगण, आप सभी जानते हैं कि कल देर रात तक चर्चा की गई और हर सदस्य को मौका दिया गया। It is an occasion where they have challenged the Indian Constitution, they have outraged the spirit of the Indian Constitution, and they have disregarded the oath that they have taken. मैं इस कुर्सी पर बैठकर इतना दुखी हूँ कि भारत के संविधान का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा मज़ाक! भारत का संविधान हाथ में रखने की किताब नहीं है, जीने की किताब है। मैं आशा करता हूँ कि वे आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अपने दिल को टटोलेंगे और कर्तव्य पर आएंगे।

---

### MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS- *Contd.*

**श्री सभापति:** माननीय प्रधान मंत्री जी, आप बोलिए।

**श्री नरेन्द्र मोदी:** आदरणीय सभापति जी, आपकी वेदना मैं समझ सकता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों ने जो निर्णय दिया है, जो जनादेश दिया है, उसे ये पचा नहीं पा रहे हैं। कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गईं और आज उनका वह लड़ाई लड़ने का भी हौसला नहीं था, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं।

आदरणीय सभापति जी, मैं तो कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ और यहाँ डिबेट में कोई स्कोर करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो देश का सेवक हूँ, देशवासियों की तरह हिसाब देता हूँ, देश की जनता को अपने पल-पल का हिसाब देना अपना कर्तव्य मानता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, वैश्विक परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुईं कि फर्टिलाइज़र के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ। हमने देश के किसान को मुसीबत में नहीं आने दिया और करीब-करीब 12 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दी है, जो भारत की आज़ादी के इतिहास में सर्वाधिक है। उसी का परिणाम है कि हमने हमारे किसान तक फर्टिलाइज़र का इतना बड़ा बोझ जाने नहीं दिया और सरकार ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया है।

आदरणीय सभापति जी, हमने एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। इतना ही नहीं हमने खरीद के भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले एमएसपी की घोषणा होती थी, लेकिन किसानों से कुछ भी लिया नहीं जाता था, बातें बताई जाती थीं। हमने पहले की तुलना में अनेक गुणा ज्यादा खरीद कर-करके किसानों को सामर्थ्यवान बनाने का प्रयास किया है।

आदरणीय सभापति जी, हमने दस वर्षों में कांग्रेस सरकार की तुलना में किसानों तक धान और गेहूं में ढाई गुणा अधिक पैसा पहुंचाया है और हम आने वाले पाँच सालों में सिर्फ इसी की इन्फ्रीमेंटल वृद्धि करके रुकना नहीं चाहते हैं, हम नये-नये क्षेत्रों में उन कठिनाइयों का अध्ययन करके उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय सभापति जी, हमने अन्न भण्डारण का विश्व का सबसे बड़ा अभियान हाथ में लिया है... और लाखों की तादाद में विकेंद्रित व्यवस्था के तहत अन्न भंडारणों की रचना करने की दिशा में काम चल पड़ा है। फल और सब्जी एक ऐसा क्षेत्र है कि हम चाहते हैं कि किसान उस तरफ मुड़े और उसके भंडारण के लिए भी हम एक व्यापक इन्फ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, सबका साथ, सबका विकास - इस मूल मंत्र को लेकर हमने देश सेवा की हमारी यात्रा को निरंतर विस्तार देने का प्रयास किया है। देशवासियों को गरिमापूर्ण जीवन देना, यह हमारी प्राथमिकता रही है। आज़ादी के बाद अनेक दशकों तक जिनको कभी पूछा नहीं गया था, आज मेरी सरकार उन्हें पूछती तो है ही, उनको पूजती भी है। हमने हमारे दिव्यांग भाई-बहनों की कठिनाइयों को समझकर उन्हें मिशन मोड में माइक्रो लेवल पर एड्रेस करने का प्रयास किया है और व्यवस्थाएं विकसित करने का प्रयास किया है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और उन्हें किसी का सहारा कम-से-कम लेना पड़े, इस दिशा में हमने काम किया है।

आदरणीय सभापति जी, हमारे समाज में किसी-न-किसी कारणवश एक उपेक्षित वर्ग है, यानी एक प्रकार से समाज में बार-बार हरदूत होने वाला वर्ग है, वह ट्रांसजेंडर वर्ग है। हमारी सरकार ने ट्रांसजेंडर साथियों के लिए कानून बनाने का काम किया है। जब पश्चिम की दुनिया के लोग यह सुनते हैं, तो उन्हें भी गर्व होता है कि अच्छा, भारत इतना प्रोग्रेसिव है। भारत की तरफ बड़े गर्व की नजरों से देखा जाता है। हमने उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास शुरू किया है। आपने देखा होगा कि पद्म अवाडर्स में भी ट्रांसजेंडर्स को अवसर देने में हमारी सरकार आगे आई है।

आदरणीय सभापति जी, हमारा घुमंतू जनजातीय समुदाय, हमारे घुमंतू साथी, हमारे बंजारा परिवार, उनके लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाया है, ताकि उनकी आवश्यकताओं को हम एड्रेस कर सकें और उन्हें भी एक स्थायी, सुरक्षित और संभावनाओं वाला जीवन प्राप्त हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, हम एक शब्द लगातार सुनते आए हैं - पीवीटीजी, पीवीटीजी, पीवीटीजी। हमारे जनजातीय समूहों में यह सबसे पीछे रहा हुआ है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जिन्होंने उन्हें निकट से देखा होगा, पता चलता है कि वे कैसी हालत में जीते हैं। उनकी तरफ किसी ने नहीं देखा। हमने एक विशेष व्यवस्था की है और पीएम जनमन योजना के तहत, 24,000 करोड़ रुपये... यह समुदाय बिखरा हुआ है, छोटी संख्या में है, वोट की उनकी ताकत नहीं है और यहाँ देश की परंपरा ऐसी है कि जिसकी वोट की ताकत है, उसी की चिंता करना! समाज के ऐसे अति पिछड़े लोगों की कोई चिंता नहीं करता था। हमने वह चिंता की है, क्योंकि हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं।

आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में पारंपरिक पारिवारिक कौशल्य भारत की विकास यात्रा और व्यवस्था का एक अंग रहा है। जो हमारा विश्वकर्मा समूह है, जिनके पास परंपरागत हुनर है और जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन उन्हें कभी एड्रेस नहीं किया गया था। हमें करीब-करीब 13 हजार करोड़ रुपये की योजना से विश्वकर्मा समुदाय को आधुनिकता की तरफ ले जाना है, जिससे उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आए।

आदरणीय सभापति जी, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, लेकिन यह हालत थी कि मेरे रेहड़ी-पटरी वालों को कभी बैंक के दरवाजे तक देखने की हिम्मत नहीं होती थी। देश में पहली बार 'पीएम स्वनिधि' योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों की चिंता की गई है। आज वे ब्याज के कुचक्र से बाहर आए हैं। अपने परिश्रम और ईमानदारी से रेहड़ी-पटरी वालों को बैंकों से लोन मिले हैं। बैंक वाले भी खुश हैं और लेने वाले भी खुश हैं। जो कल फुटपाथ पर रेहड़ी लेकर बैठता था, वह आज एक छोटी दुकान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो पहले खुद मजदूरी करता था, आज वह एक-दो लोगों को रोजगार देने की दिशा में काम कर रहा है। यही कारण है कि चाहे गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों या महिलाएं हों, उन्होंने हमारा भारी समर्थन किया है।

आदरणीय सभापति जी, हम women-led development की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देश भी women development को तो स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं, लेकिन जब women-led development की बात करते हैं, तो उनके उत्साह में भी थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय में भारत ने नारे नहीं, निष्ठा के साथ women-led development की ओर कदम बढ़ाए हैं। महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वह कन्ट्रिब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ती जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य विषय पर बल दिया था। उसका माहात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है - इस पर उन्होंने बड़े विस्तार से कहा था। उन्होंने एक बात यह भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि मां अगर चली गई, तो उसका कोई उपाय नहीं होता, वह फिर नहीं मिल सकती है। उन्होंने यह बड़ी भावात्मकता से बताया था। हमने women health, sanitation, wellness पर 10 वर्षों में एक priority sector के नाते काम किया है।

आदरणीय सभापति जी, toilets हों, sanitary pads हों, gas connections हों या pregnancy के दौरान vaccination की व्यवस्था हो, इन सबका फायदा हमारे देश की माताओं-बहनों को मिला है। आरोग्य के साथ-साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बनें, उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने बीते वर्षों में जो 4 करोड़ घर बनाए हैं, उनमें से हमने ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर किए हैं। बैंकों में खाते खुलने से, मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वे परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी हैं।

आदरणीय सभापति जी, Women Self-Help Groups से जुड़ी 10 करोड़ बहनों का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ-साथ उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें, जो यह Self-Help Group का काम करती हैं, वे मिलकर गांव में छोटा-छोटा कारोबार करती हैं, उनकी तरफ गांव वालों की नजर भी नहीं जाती थी। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी हैं। हम आने वाले समय में इस आंकड़े को बढ़ाकर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएँ लीड करें, अगुवाई करें। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन महिलाओं के नसीब में वह बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे। इसी के तहत 'नमो ड्रोन दीदी', यह अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। आज गाँवों में किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद करने का काम गाँव की हमारी महिलाएँ कर रही हैं। मैं जब उनसे बात कर रहा था, तो वे मुझसे कह रही थीं कि साहब, हम तो साइकिल चलाना भी नहीं जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गाँव हमें 'पायलट दीदी' के नाम से जानने लगा है। यह गरिमापूर्ण बात उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाती है।

आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में भी जब राजनीति होती है, तब देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को अकल्प पीड़ा होती है। यह जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का सेलेक्टिव रवैया है, यह सेलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। एक महिला को वहाँ सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वह बहन चीख रही है, लेकिन वहाँ खड़े हुए लोगों में से कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वे वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। जो घटना संदेशखाली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं, लेकिन बड़े-बड़े दिग्गजों को मैं कल से सुन रहा हूँ, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिन्दगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है! जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वे भी मुँह पर ताले लगा कर बैठ गए हैं, क्योंकि उनके संबंध राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से हैं या उस राज्य से हैं। इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा पर चुपचाप हो जाएँ! आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं और बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सेलेक्टिव हो और जहाँ उनकी राजनीति के अनुकूल नहीं होता है, उनको साँप सूँघ जाता है। यह बहुत चिंता का विषय है।

आदरणीय सभापति जी, भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुन कर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्चस्त किया है। इन नतीजों के कारण भारत विश्व भर के निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र बन कर उभर रहा है।

1.00 P.M.

अब 'ifs' और 'buts' का समय पूरा हो चुका है और भारत में विदेश का निवेश भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आता है, भारत के युवाओं के टैलेंट को विश्व के मंच पर ले जाने का एक अवसर बन जाता है। आदरणीय सभापति जी..

### ANNOUNCEMENT BY THE CHAIRMAN

MR. CHAIRMAN: One minute, hon. Prime Minister. Hon. Members, the reply to the discussion on the Motion of Thanks on the President's Address is under way. If the House agrees, the lunch hour may be dispensed with to conclude the discussion. Do I have the leave of the House to dispense with the lunch hour today?

SOME HON. MEMEBRS: Yes, Sir.

---

### MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS -Contd.

MR. CHAIRMAN: Hon. Prime Minister. आपने मुझे भी एक मौका दिया है, जो मेरे से पहले एक चेयरमैन को ही मिला है, to listen to the Prime Minister in his third term replying to the President's Address. आपसे inspiration लेकर, आप टेबल पर देखिए, यहाँ हमने पुरुषों का one-third reservation कर दिया है। Hon. Prime Minister.

**श्री नरेन्द्र मोदी:** आदरणीय सभापति जी, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में जो संतुलन चाहते हैं, उनके लिए भारत की यह विजय एक बहुत बड़ी आशा लेकर आई है। आज विश्व पारदर्शिता पर भरोसा करता है और भारत उसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ भूमि के रूप में उभर रहा है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव के नतीजों से जो capital market है, उसमें तो उछाल नजर आ ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी बहुत बड़े उमंग और आनन्द का माहौल है। यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**... लेकिन इस बीच हमारे कांग्रेस के लोग भी खुशी में मगन हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इस खुशी का कारण क्या है। इस पर कई सवाल हैं - क्या यह खुशी हार की hat-trick पर है, क्या यह खुशी nervous nineties के शिकार होने पर है, क्या यह खुशी एक और असफल launch की है?

आदरणीय सभापति जी, मैं देख रहा था कि खरगे जी भी उत्साह और उमंग से भरे नजर आ रहे थे। लेकिन शायद खरगे जी ने अपनी पार्टी की बड़ी सेवा की है, क्योंकि यह पराजय का ठीकरा जिन पर फूटना चाहिए था, उनको इन्होंने बचा लिया और खुद दीवार बन कर खड़े हो गए। कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि जब-जब ऐसी परिस्थिति आती है, तब किसी दलित को, पिछड़े को ही यह मार झेलनी पड़ती है और वह परिवार बच कर निकल जाता है। इसमें भी यही नजर आ रहा है।

इन दिनों आपने देखा होगा कि लोक सभा में स्पीकर के चुनाव का मसला हुआ। उसमें भी पराजय तो तय थी, लेकिन आगे किसको किया - एक दलित को। बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने खेल खेला। उनको मालूम था कि वे पराजित होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं को आगे किया। राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति पद के चुनाव थे, तो 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुशील कुमार शिंदे जी

को आगे किया, उनको मरवा दिया। दलित मरे तो उनका कुछ नहीं जाता है। 2017 में उनकी हार तय थी, तो उन्होंने मीरा कुमार को लगा दिया। उनकी पराजय हुई, उनको पराजय झेलनी पड़ी। कांग्रेस की एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी का अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण उन्होंने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी अपमानित करने, उनका विरोध करने में कोई कमी नहीं की और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जो कोई नहीं कर सकता है।

आदरणीय सभापति जी, यह संसद, यह उच्च सदन सार्थक वाद-विवाद, संवाद के लिए है और इस मनोमंथन में से अमृत निकाल करके देशवासियों को देने के लिए है। यह देश का सबसे बड़ा मंच माना जाएगा, लेकिन जब मैंने पिछले दो दिनों में कई वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनीं, तो उससे सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि पूरे देश को निराशा हुई है। यहाँ कहा गया कि यह देश के इतिहास का पहला चुनाव था, जिसका मुद्दा संविधान की रक्षा था। मैं जरा उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या आप अब भी यह फेक नैरेटिव चलाते रहेंगे? क्या आप भूल गए 1977 का चुनाव? अखबार बंद थे, रेडियो बंद थे, बोलना भी बंद था और देशवासियों ने एक ही मुद्दे पर वोट किया था, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए वोट किया था। संविधान की रक्षा के लिए पूरे विश्व में इससे बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ है और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है, वह 1977 के चुनाव ने दिखा दिया है। लेकिन आप देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि संविधान की रक्षा का वह सबसे बड़ा चुनाव था और उस समय देश के विवेक और बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ कर फेंक दिया था और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था, तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है कि हाँ, अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है, तो यही लोग कर सकते हैं और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया है।

आदरणीय सभापति जी, जब खरगे जी ऐसी बातें बोलते हैं, तो जरा पीड़ादायक लगता है, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान संविधान पर जो जुल्म हुआ, संविधान के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा दी गईं, तब उसी दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में वे उनके साक्षी हैं। फिर भी वे सदन को गुमराह कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, आपातकाल को मैंने बहुत निकट से देखा है। करोड़ों लोगों को कल्पना से परे यातनाएँ दी गईं, उनका जीना मुश्किल कर दिया गया था और जो संसद के अंदर होता था, वह तो रिकॉर्ड पर है। भारत के संविधान की बातें करने वालों से मैं पूछता हूँ कि जब आपने लोक सभा को सात साल चलाया था, लोक सभा का कार्यकाल पाँच साल है, वह कौन-सा संविधान था, जिसको लेकर के आपने सात साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो!

आदरणीय सभापति जी, दर्जनों आर्टिकल्स पर, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न-विछिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वाँ, 39वाँ और 42वाँ संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था - यह सब क्या था? आपके मुँह से संविधान की रक्षा शब्द शोभा नहीं देता है। आप यह पाप करके बैठे हुए लोग हैं।

आदरणीय सभापति जी, खरगे जी पिछली सरकार में 10 साल कैबिनेट में थे। क्या हुआ था? प्रधान मंत्री संवैधानिक पद है। प्रधान मंत्री के पद के ऊपर NAC बैठ जाना, यह व्यवस्था कौन

से संविधान में से लेकर आए थे? आप लोगों ने किस संविधान में से यह व्यवस्था बनाई थी? आपने देश के प्रधान मंत्री पद की गरिमा को चकनाचूर कर दिया था और रिमोट पायलट बनकर आप उसके माथे पर बैठ गए थे। कौन-सा संविधान आपको अनुमति देता है? आदरणीय सभापति जी, जरा ये हमको बताएं कि वह कौन-सा संविधान है, जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? वह कौन-सा संविधान था? वह किस हैसियत से फाड़ा गया था?

आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में लिखित रूप में प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, स्पीकर, इन सबके बारे में बताया गया है कि ये सब कैसे, कहाँ होते हैं। कोई मुझे बताए कि संविधान की मर्यादाओं को तार-तार करके प्रोटोकॉल में एक परिवार को प्राथमिकता कैसे दी जाती थी, कौन-सा संविधान था? संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को बाद में, एक परिवार के लोग पहले - आपने कौन-से संविधान की मर्यादा रखी थी और आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं! आप लोग तो India is Indira, Indira is India के नारे लगा करके जिये हो, आप संविधान के प्रति कभी कोई आदर भाव व्यक्त नहीं कर पाए हो। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है, यह उसके जेहन में है।

आदरणीय सभापति जी, इस पूरी चर्चा के दरमियान उनको 200-500 साल की बातें करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात निकल आए तो वे कहते हैं कि वह तो बहुत पुराना हो गया। आपके पाप जब पुराने हो जाते हैं तो क्या वे खत्म हो जाते हैं? आदरणीय सभापति जी, इस हाउस में कोशिश की गई कि संविधान की बात करनी है, लेकिन इमरजेंसी को कभी भी सामने नहीं आने देना है, यह चर्चा करने का अनुभव है। लेकिन यह देश इनके साथ जो लोग बैठे हैं, उनमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ होंगी कि आज उन्होंने इनके साथ बैठना पसंद किया है। मतलब, यह अवसरवादिता का दूसरा नाम है। अगर संविधान के प्रति समर्पण का भाव होता तो वे ऐसा नहीं करते।

आदरणीय सभापति जी, आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, बल्कि वह लोकतंत्र और संविधान के साथ-साथ एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु की शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वे कभी ठीक नहीं हो पाए, यह हाल उन्होंने कर दिया था। सिर्फ राजनेताओं को ही प्रताड़ना नहीं मिली थी, बल्कि आम आदमी को भी नहीं छोड़ा गया था, सामान्य मानवी को भी नहीं छोड़ा गया था। उसमें इनके लोग भी अंदर थे, उनके साथ भी जुल्म हुआ, लेकिन आज ये भूल गए। आदरणीय सभापति जी, वे दिन ऐसे थे कि कुछ लोग जो घर से निकले, वे कभी घर लौट करके वापस नहीं आए और पता तक नहीं चला कि उनका शरीर कहाँ गया। यहाँ तक की घटनाएं घटी थीं।

आदरणीय सभापति जी, बहुत सी पार्टियाँ, जो उनके साथ बैठी हैं, वे अल्पसंख्यकों की आवाज होने का दावा करती हैं। वे बड़े ज्यादा चिल्लाकर बोलते हैं। मुजफ्फरनगर और तुर्कमान गेट में अल्पसंख्यकों के साथ इमरजेंसी में जो कुछ हुआ था, क्या कोई जरा उसे याद करने की हिम्मत करते हैं या बोलने की हिम्मत करते हैं?

आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस को क्लीन चिट दे रहे हैं, देश उनको कैसे माफ करेगा? यह शर्मनाक है कि ऐसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रति लेकर अपने काले कारनामों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, उस समय कई अलग छोटे-छोटे राजनीतिक दल थे, वे इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतरे थे, उन्होंने धीरे-धीरे अपनी ज़मीन बनाई थी। आज वे कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं। कल मैंने लोक सभा में कहा था कि अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हुआ है, यह परजीवी कांग्रेस है। जहां वे खुद अकेले लड़े, वहां उनका स्ट्राइक रेट शर्मजनक रहा और जहां किसी के सहारे किसी के कंधे पर बैठने का मौका मिला, वहीं से बचकर आए हैं। देश की जनता ने आज भी उनको स्वीकार नहीं किया है। वे किसी की आड़ में आए हैं। यह कांग्रेस परजीवी है। यह किसी और के कारण, सहयोगी दलों के वोट खा कर ज़रा फली-फूली है, ऐसा दिखता है। कांग्रेस का परजीवी होने का कारण उनके अपने कारनामों से है। वे देश की जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, वे जोड़-तोड़ कर बचने का रास्ता खोज रहे हैं। जनता-जनार्दन का विश्वास जीतने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए फेक नेरेटिव के द्वारा, फेक वीडियो के द्वारा देश को भ्रमित करके, गुमराह करके अपने कारनामे करने की आदत है।

आदरणीय सभापति जी, यह उच्च सदन है, यहां विकास के विज्ञान पर चर्चा होना स्वाभाविक है, अपेक्षित है, लेकिन भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों से घिरे लोग, ये कांग्रेस वाले लोग बेशर्मी के साथ भ्रष्टाचारी बचाव आंदोलन चलाने लग गए हैं। जिनको भ्रष्टाचार में सज़ाएं मिली हैं, उनके साथ तस्वीरें निकालने में उनको मज़ा आ रहा है। पहले ये लोग हमसे पूछते थे, बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है और जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, तो हंगामा कर रहे हैं कि आप लोगों को जेल क्यों भेज रहे हो?

आदरणीय सभापति महोदय, यहां चर्चा के दौरान केंद्र की जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए गए। जांच एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है, ऐसा कहा गया है। आदरणीय सभापति जी, अब आप ही मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार करे 'आप', शराब घोटाला करे 'आप', बच्चों के क्लास रूम बनाने में घोटाला करे 'आप', पानी तक में घोटाला करे 'आप', 'आप' की शिकायत करे कांग्रेस, 'आप' को कोर्ट में घसीट कर ले जाए कांग्रेस और अब कार्रवाई हो, तो गाली दें मोदी को। अब आपस में ये लोग साथी बन गए हैं। मैं 'आप' वालों से कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगो। कांग्रेस भी बताए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 'आप' के घोटालों के इतने सारे सबूत देश के सामने रखे थे। कांग्रेस ने इन्हीं लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्हीं लोगों के खिलाफ की थी। अब ये बताएं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी फाइलों और सबूतों के बारे में बताया था, क्या वे सबूत सच्चे थे या झूठे थे। दोनों एक-दूसरे को खोलकर रख देंगे और मुझे विश्वास है कि ऐसी चीजों का जवाब देने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। मैं देश को बार-बार यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यह कैसा दोगलापन चल रहा है। ये लोग दिल्ली में एक मंच पर बैठकर जांच एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैलियां करते हैं और उनके शहजादे इन्हीं के केरल के एक मुख्य मंत्री, जो उनके गठबंधन के साथ ही हैं, उनको जेल भेजने की अपील करते हैं और भारत सरकार से कहते हैं कि इस मुख्य मंत्री को जेल भेज दीजिए। दिल्ली में ईडी, सीबीआई की कार्रवाई पर हाथ-तौबा करते हैं और वही लोग उसी एजेंसी से केरल



के मुख्य मंत्री को जेल भेजने की बात करते हैं। तब लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या इसमें भी दोगलापन है।

महोदय, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्य मंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा हुआ है। यही 'आप' पार्टी वाले चीख-चीख कर कहते थे कि ईडी, सीबीआई को लगा दो और इस मुख्य मंत्री को जेल में डाल दो। ऐसा वे खुलेआम कहते थे और ईडी यह काम करे, इसके लिए गुजारिश करते थे। तब उनको ईडी बहुत प्यारी लगती थी। सर, आज जो लोग जांच एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, मैं आग्रह करता हूँ कि उनकी याददाश्त पर जोर डालना चाहिए। सर, पहले जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे होता था, कौन करता था, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैं कुछ बयान आपके सामने रखता हूँ। यह 2013 का पहला बयान है। बयान क्या है - "कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है। जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। कांग्रेस सीबीआई व इनकम टैक्स का भय दिखाकर समर्थन लेती है।" यह स्टेटमेंट किसका है? यह बयान स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का है। कांग्रेस, एजेंसियों का कैसा दुरुपयोग करती थी, यह मुलायम सिंह जी ने कहा था। मैं यहां इस सदन के माननीय सदस्य राम गोपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या नेता जी कभी झूठ बोलते थे? नेता जी तो सच बोलते थे। मैं राम गोपाल जी से यह भी कहना चाहता हूँ कि जरा भतीजे को भी बताएं, उनको भी याद दिलाएं कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे पर सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे? जरा उनको याद दिला दें, तो पता चलेगा। मैं एक और बयान पढ़ता हूँ और यह भी साल 2013 का है - "The Congress had used the CBI to strike political bargains with many parties". ऐसा कौन कहते हैं? उनके comrade श्रीमान् प्रकाश करात जी द्वारा कहा हुआ था और 2013 में कहा गया था। इन एजेंसियों का कौन दुरुपयोग करता था? मैं एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वह स्टेटमेंट क्या है - "सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, जो मालिक की आवाज में बोलता है।" यह किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, यह हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपीए सरकार के समय में कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते-जागते सबूत आज मौजूद हैं।

आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई, यह मेरे लिए चुनाव में हार-जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव में हार-जीत के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, यह मेरा मिशन है, यह मेरा कन्विक्शन है। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है, जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानवी के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी-जान से जुटा हुआ हूँ। मैं इसे एक पवित्र कार्य मानता हूँ। वर्ष 2014 में, जब हमारी सरकार बनी, तब हमने दो बड़ी बातें कही थीं। एक हमने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है और दूसरा भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी, यह मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। इसी ध्येय को लेकर हम एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजना चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नये कानून, नई व्यवस्थाएं, नये तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन किया है। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया, बेनामी सम्पत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर आए। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने

सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट में भी बदलाव लाया है। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है और तभी हर लाभार्थी तक उसके हक का फायदा तुरंत सीधा पहुंच रहा है, इसमें एक नये पैसे का लीकेज नहीं होता है। यह हमारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ का एक पहलू है। जब सामान्य नागरिक को यह व्यवस्था मिलती है, तब उसका लोकतंत्र में भरोसा बढ़ता है, उसको सरकार में अपनापन महसूस होता है और जब अपनापन महसूस होता है, तब तीसरी बार बैठने का मौका मिलता है।

आदरणीय सभापति जी, मैं निःसंकोच रूप से कहना चाहता हूँ, मैं लागू-लपेट नहीं रखता हूँ और मैं देशवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि मैंने एजेंसियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए खुली छूट देकर रखी है। सरकार कहीं पर भी टांग नहीं अड़ाएगी। हां, वह ईमानदारी से काम करे, ईमानदारी के लिए काम करे, यह मेरा सोचना है।

आदरणीय सभापति जी, मैं फिर देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि कोई भी भ्रष्टाचारी कानून से बचकर नहीं निकलेगा - यह मोदी की गारंटी है। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने अपने सम्बोधन में पेपर लीक को एक बड़ी समस्या बताया है। मेरी अपेक्षा थी कि सारे दल दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इस पर अपनी बात रखते, लेकिन दुर्भाग्य से इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा भी, मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा मुद्दा भी इन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूँ कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरे सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी न रहना पड़े। वे पूरे विश्वास के साथ अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक को प्राप्त करें - इस बात को लेकर हम काम कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, यहाँ कुछ आरोप लगाने का फैशन है, लेकिन कुछ आरोप ऐसे हैं कि उनके जवाब घटनाएं खुद दे देती हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। जम्मू-कश्मीर में हाल में हुए लोक सभा चुनाव में मतदान के जो आंकड़े हैं, उन्होंने पिछले चार दशक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और यह सिर्फ कोई घर से गया, बटन दबाकर आया है, इतना नहीं है, बल्कि वे भारत के संविधान को स्वीकृति देते हैं, भारत के लोकतंत्र को स्वीकृति देते हैं, भारत के इलेक्शन कमीशन को स्वीकृति देते हैं। आदरणीय सभापति जी, यह बहुत बड़ी सक्सेस है। देशवासी जिस पल की प्रतीक्षा करते थे, वह आज इतनी सहज सरलता से सामने दिख रहा है।

आदरणीय सभापति जी, बीते अनेक दशकों में बंद, हड़ताल, आतंकी धमकियाँ, इधर-उधर बम धमाके की कोशिशें, एक प्रकार से लोकतंत्र पर ग्रहण बनी हुई थीं। आज, इस बार लोगों ने संविधान पर अटूट विश्वास रखते हुए अपने भाग्य का फैसला लिया है। मैं जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं को विशेष रूप से बधाई देता हूँ।

आदरणीय सभापति जी, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से हमारी लड़ाई एक प्रकार से अंतिम दौर में है, अंतिम चरण में है। आतंक के बचे हुए नेटवर्क को भी हम सख्ती से नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी व्यूह रचना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीते दस वर्षों में पहले की तुलना में आतंकी घटनाओं में बहुत गिरावट आई है। अब पत्थरबाजी की खबरें भी शायद ही किसी कोने में एकाध

बार आ जाएं तो आ जाएं। अब जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाव खत्म हो रहा है और इस लड़ाई में जम्मू-कश्मीर के नागरिक हमारी मदद कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं - यह सब पर ज़रा विश्वास पैदा करने वाली बात है। आज वहाँ पर टूरिज़्म नये रिकॉर्ड बना रहा है और निवेश बढ़ रहा है।

आदरणीय सभापति जी, आज जो नॉर्थ- ईस्ट को लेके सवाल उठाते हैं उन्होंने नॉर्थ- ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया है क्योंकि उनका चुनावी हिसाब-किताब होता है कि नॉर्थ-ईस्ट से इतनी ही लोक सभा की सीटें हैं, उससे राजनीति में क्या फर्क पड़ता है, इसलिए उन्होंने इसकी कभी कोई परवाह ही नहीं की, उसे उनके नसीब पर छोड़ दिया था, लेकिन हम आज नॉर्थ-ईस्ट को देश के विकास का एक सशक्त इंजन बनाने की ओर पूरी ताकत से लगे हुए हैं। नॉर्थ- ईस्ट पूर्वी एशिया के साथ ट्रेड, टूरिज़्म और कल्चरल कनेक्टिविटी का गेट वे बन रहा है और हम यह जो कहते हैं - 21वीं सदी भारत की सदी, उसमें यह इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हमें यह स्वीकार करना होगा।

आदरणीय सभापति जी, हमने नॉर्थ-ईस्ट में गत पाँच वर्षों में जो काम किया है, अगर काँग्रेस के पुराने काम के हिसाब से उसकी तुलना कर दी जाए, तो हमने जितना काम पाँच साल में किया है, अगर इतना उन्हें करना होता, तो कम-से-कम 20 साल लग जाते, एक पीढ़ी और चली जाती। हमने इतनी तेजी से काम किया है। आज नॉर्थ-ईस्ट की कनेक्टिविटी उसके विकास का मूलभूत आधार है। हमने उसे प्राथमिकता दी है। आज हम भूतकाल के सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर से कई गुना आगे निकल चुके हैं और हमने यह करके दिखाया है।

आदरणीय सभापति जी, नॉर्थ-ईस्ट में स्थायी शांति के लिए दस वर्षों में अनेक प्रयास किए गए हैं और निरंतर प्रयास किए गए हैं। बिना रुके, बिना थके हरेक को विश्वास में लेते हुए प्रयास किए गए हैं और देश में उनकी चर्चा कम हुई है, लेकिन परिणाम बहुत ही आशा पैदा करने वाले निकले हैं। राज्यों के बीच सीमा विवाद संघर्षों को जन्म देता रहा है और आज़ादी से अब तक यह निरंतर चलता रहा है। हम राज्यों को साथ बिठाकर सहमति के साथ जितने सीमा विवाद खत्म कर सकते हैं, एक के बाद एक accord करते जा रहे हैं। यह रिकॉर्ड है, सहमति का रिकॉर्ड है। इसके लिए सीमाओं में जो करना है, किसी को उधर जाना है, किसी को यहाँ आना है, कहीं रेखा यहाँ बनानी है, कहीं रेखा वहाँ बनानी है, ये सारे काम कर चुके हैं। आदरणीय सभापति जी, यह नॉर्थ-ईस्ट की बहुत बड़ी सेवा है। हिंसा से जुड़े संगठन, जो हथियारबंद गिरोह थे, जो वहाँ लड़ाई लड़ते रहते थे, अंडरग्राउंड रहकर लड़ाई लड़ते थे, हर व्यवस्था को चुनौती देते थे, हर काउंटर ग्रुप को चुनौती देते थे, खून-खराबा होता रहता था, आज उन्हें साथ लेकर स्थायी समझौते हो रहे हैं, शस्त्र सरेंडर हो रहे हैं। जो गंभीर गुनाहों के अंदर हैं, वे जेल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अदालत को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं। न्याय तंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, संविधान के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत के लोकतंत्र के प्रति भरोसा बढ़ना, भारत की गवर्नमेंट की रचना पर भरोसा करना, यह इसमें अनुभव होता है और आज हो रहा है।

आदरणीय सभापति जी, मणिपुर के संबंध में मैंने पिछले सत्र में विस्तार से बात कही थी, लेकिन मैं आज फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ। मणिपुर की स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। वहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटीं, उनमें 11,000 से ज्यादा एफआईआर की गई हैं। मणिपुर छोटा सा राज्य है और 11,000 एफआईआर की गई हैं। 500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। आदरणीय सभापति जी, हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में

लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि शांति की आशा रखना, शांति पर भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले हैं। आदरणीय सभापति जी, जैसे देश के अन्य भागों में परीक्षाएं हुई हैं, वैसे मणिपुर में भी परीक्षाएं हुई हैं और बच्चों ने अपनी विकास यात्रा जारी रखी है। आदरणीय सभापति जी, केंद्र और राज्य सरकार, सभी से बातचीत करके शांति के लिए सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। छोटी-छोटी इकाइयों को जोड़कर इस तानेबाने को गुंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहाँ रहे, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहाँ रहे और वे बार-बार वहाँ जाकर संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पॉलिटिकल लीडरशिप तो है ही, लेकिन सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी, जिनका इस काम से संबंध है, वे लगातार वहाँ फिज़िकली जाते हैं, लगातार वहाँ संपर्क में रहते हैं और समस्या के समाधान के लिए हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया जा रहा है।

आदरणीय सभापति जी, इस समय मणिपुर में बाढ़ का भी संकट चल रहा है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिल कर पूरा सहयोग कर रही है। आज ही एनडीआरएफ की दो टीमों वहाँ पहुँची हैं। यानी प्राकृतिक मुसीबत में भी केन्द्र और राज्य मिल कर मणिपुर की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ कर वहाँ की स्थिति को सामान्य बनाने में सहयोग करना चाहिए, यह हम सबका कर्तव्य है। आदरणीय सभापति जी, जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करता हूँ कि ये हरकतें बंद करें। एक समय आएगा कि मणिपुर ही ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जो लोग मणिपुर के इतिहास को जानते हैं, मणिपुर के घटनाक्रम को जानते हैं, उनको पता है कि वहाँ सामाजिक संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा है। उस संघर्ष की मानसिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। कांग्रेस के लोग यह न भूलें कि मणिपुर में इन्हीं कारणों से 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है। इतने छोटे से राज्य में 10 बार प्रेज़िडेंट्स रूल लगाना पड़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा है, तो कुछ तो मुसीबतें होंगी - और यह हमारे कालखंड में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि 1993 में मणिपुर में ऐसी ही घटनाओं का क्रम चला था और इतना तीव्र चला था, इतना व्यापक चला था कि वह 5 साल लगातार चला था। यह सारा इतिहास समझ कर हमें बहुत समझदारीपूर्वक स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रयास करना है। जो भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं, हरेक का सहयोग हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम सामान्य स्थिति को बरकरार रखने के लिए, शांति लाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

आदरणीय सभापति जी, यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं प्रधान मंत्री, प्रधान सेवक के रूप में यहाँ आया। उसके पहले लंबे अरसे तक मुझे मुख्य मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला था। इसके कारण मैं अनुभव से सीखा हूँ कि फेडरलिज़्म का माहात्म्य क्या होता है। उसी में से कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म और उसी में से कंपीटीटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज़्म, इन विचारों को मैं बल देता आया हूँ। इसीलिए जब जी20 समिट हुआ, तो हम इसे दिल्ली में कर सकते थे, हम

दिल्ली में बहुत बड़े ताम-झाम के साथ मोदी की वाहवाही कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कोने में जी20 के महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए। उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा वैश्विक प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए प्रयास किया गया। उस राज्य की ब्रांडिंग हो, विश्व उस राज्य को जाने, पहचाने, उसके सामर्थ्य को जाने और उसकी विकास यात्रा के लिए वह खुद भी अपना नसीब आजमाए, इस दिशा में हमने काम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि फेडरलिज़्म के और रूप होते हैं। आदरणीय सभापति जी, जब हम कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब जितनी बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हुआ है, शायद हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास में इतने कम समय में इतनी बार नहीं हुआ है - यह हमने किया है।

आदरणीय सभापति जी, यह सदन एक प्रकार से राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है, इसलिए राज्यों के विकास के कुछ फोकस एरियाज़ की इस सदन में चर्चा करना मैं उचित मानता हूँ और मैं कुछ आग्रह भी साझा करना चाहता हूँ। आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जहाँ हम अगली क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में हर राज्य को बड़ी प्राथमिकता के साथ अपनी नीतियाँ बनानी चाहिए, योजनाओं को लेकर आगे आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा हो, निवेश आकर्षण करने वाली नीतियों में स्पर्धा हो और वह भी गुड गवर्नेंस के माध्यम से हो, स्पष्ट नीतियों के माध्यम से हो। मैं पक्का मानता हूँ कि आज जब विश्व भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तब हर राज्य के लिए अवसर है। जब यह राज्यों से जुड़ा हुआ सदन है, तो मैं राज्यों से आग्रह करूँगा कि आप आगे आइए और विकास की यात्रा में आप भी इसका फायदा उठाइए। रोजगार सृजन में राज्यों के बीच स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए? फलाने राज्य की उस नीति के कारण उस राज्य में नौजवानों को इतना रोजगार मिला, तो दूसरा राज्य कहे कि तुम्हारी नीति में मैंने प्लस वन कर दिया, तो मुझे यह फायदा मिला। रोजगार के लिए राज्यों के बीच स्पर्धा क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि यह देश के नौजवानों के भाग्य को बदलने में बहुत काम आएगा। आज नॉर्थ-ईस्ट में, असम में सेमीकंडक्टर पर तेज गति से काम चल रहा है। इससे असम और नॉर्थ-ईस्ट के नौजवानों को बहुत ही फायदा होने वाला है और साथ-साथ देश को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि एक राज्य सरकार जब aggressively नीतियों को लेकर आती है, तो उसका फायदा होता है।

आदरणीय सभापति जी, यूएन ने 2023 को 'Year of Millets' के रूप में घोषित किया था। भारत की अपनी खुद की ताकत है मिलेट्स। हमारे छोटे किसानों की ताकत है। जहाँ कम पानी है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएँ नहीं हैं, वहाँ पर मिलेट्स, जो कि एक सुपरफूड है, मैं मानता हूँ कि राज्य इसके लिए आगे आएँ। वे अपने-अपने राज्य के इस सुपरफूड, मिलेट्स को लेकर वैश्विक बाजार में जाने की योजना बनाएँ। उसके कारण दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर हिन्दुस्तान का मिलेट होगा और हिन्दुस्तान के किसान के घर में दुनिया से कमाने का अवसर पैदा हो जाएगा, जिससे भारत के किसान के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। मैं राज्यों से आग्रह करूँगा कि आप आगे आइए।

आदरणीय सभापति जी, दुनिया के लिए न्यूट्रिशन मार्केट का सॉल्यूशन भी हमारे देश के मिलेट में है। यह सुपरफूड है। जहाँ पर न्यूट्रिशन की चिंता है, वहाँ पर हमारा मिलेट बहुत बड़ा

काम कर सकता है। आरोग्य की दृष्टि से भी इसको वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए हमारे राज्य आगे आएँ, अपनी एक पहचान बनाएँ।

आदरणीय सभापति जी, 21वीं सदी में Ease of Living, यह सामान्य मानवी का हक है। मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकारें अपने यहाँ की नीति, नियम, व्यवस्थाएँ उस प्रकार से विकसित करें, ताकि सामान्य नागरिक को Ease of Living का अवसर मिले। इस सदन से अगर राज्यों को वह संदेश जाता है, तो देश के लिए उपयोगी होगा।

आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसको हमें कई स्तरों पर नीचे ले जाना पड़ेगा। इसलिए चाहे पंचायत हो, नगरपालिका हो, महानगरपालिका हो, तहसील पंचायत हो या जिला परिषद हो, इन सारी इकाइयों में एक ही मिशन के साथ, भ्रष्टाचार से मुक्ति का बीड़ा अगर राज्य उठाएँगे, तो हम बहुत तेजी से देश के सामान्य मानव को जो भ्रष्टाचार से जूझना पड़ता है, उससे मुक्ति दिला सकते हैं।

आदरणीय सभापति जी, समय की माँग है कि हमारे यहाँ efficiency बहुत अनिवार्य है। अब 'होती है', 'चलती है' का जमाना चला गया है। 21वीं सदी में भारत को, अगर 'भारत की सदी' के रूप में अपने आपको प्रस्थापित करना है, तो हमारे governance के model में, हमारी delivery के model में और हमारी निर्णय प्रक्रिया के model में efficiency बहुत अनिवार्य है। मैं आशा करता हूँ कि सर्विस की स्पीड बढ़ाने में, निर्णयों की स्पीड बढ़ाने में efficiency की दिशा में काम होगा। जब इस प्रकार से काम होते हैं, तो transparency भी आती है, 'ifs and buts' भी नहीं रहते हैं और सामान्य मानव के हकों की रक्षा भी होती है तथा 'Ease of Living' - इसका अहसास हर नागरिक कर सकता है।

आदरणीय सभापति जी, मेरा एक conviction है। मैं मानता हूँ कि आज समय की माँग है कि हमारे देश के नागरिकों के जीवन में सरकार का दखल जितना कम हो, उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। रोजमर्रा की जिन्दगी में सरकार, सरकार ...(व्यवधान)... अब जब हम उस दिशा में जा रहे हैं, तब - हाँ, जिनको सरकार की जरूरत है, जिनके जीवन में सरकार की उपयोगिता है, आवश्यकता है, उनके जीवन में सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन, जो अपने बलबूते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार का प्रभाव उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करे, इसलिए सरकार का दखल जितना कम हो, वैसी समाज और सरकार की व्यवस्थाओं को विकसित करने के लिए मैं राज्यों से आग्रह करता हूँ कि आप आगे आइए।

आदरणीय सभापति जी, climate change के कारण प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति बढ़ती जा रही है। वह किसी को एक कोने में करने वाला काम नहीं होता है। हमें सामूहिक रूप से मिलकर काम करना होगा। राज्यों को अपना सामर्थ्य बढ़ाना होगा, ताकि हम प्राकृतिक आपदाओं से निपट सकें। पीने के पानी की व्यवस्था - उसको भी उतना ही महत्व देना होगा; सामान्य मानव को आरोग्य की सेवा - उसको भी उतना ही महत्व देना होगा। मैं मानता हूँ कि हमारे राज्यों में राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ इन मूलभूत कामों की दिशा में हमारे राज्य जरूर जुड़ेंगे।

आदरणीय सभापति जी, यह दशक और यह सदी 'भारत की सदी' है, लेकिन भूतकाल हमें कहता है कि अवसर तो पहले भी आए थे, लेकिन हम अपने ही कारणों से अपने अवसरों के खो चुके थे। अब हमें अवसर खोने की गलती नहीं करनी है। हमें अवसरों को ढूँढ़ना है, हमें अवसरों को जकड़ना है और अवसरों के सहारे हमें अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। उस दिशा में जाने का

इससे बड़ा कोई समय नहीं हो सकता है, जो समय आज भारत के पास है, 140 करोड़ देशवासियों के पास है, विश्व के सबसे युवा आबादी वाले देश के पास है। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वे हमसे आगे निकल चुके हैं, बहुत तेजी से आगे निकल चुके हैं, हम वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हमें इस स्थिति को बदलना है और इस संकल्प को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जिन देशों ने 80 के दशक में रिफॉर्म्स किए, वे आज बहुत तेजी से एक विकसित देश के रूप में खड़े हो गए हैं। हमें रिफॉर्म्स को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, रिफॉर्म्स से कतराने की जरूरत नहीं है और यदि हम रिफॉर्म्स करते हैं, तो हमारी खुद की सत्ता चली जाएगी, ऐसे भयभीत रहने की जरूरत नहीं है, सत्ता को हथियाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी भागीदारी बढ़ेगी, जितनी निर्णय की शक्ति सामान्य मानव के हाथ में जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि भले ही हम शायद लेट हुए हों, लेकिन हम भी उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने में उस गति को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने संकल्पों की सिद्धि कर सकते हैं।

आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत का मिशन किसी व्यक्ति का मिशन नहीं है, यह 140 करोड़ देशवासियों का मिशन है। यह मिशन किसी एक सरकार का मिशन नहीं है, देश की सभी सरकारी इकाइयों का मिशन है और हम एक सूत्र में, एक संकल्प के साथ मिल कर चलेंगे, तो हम इन सपनों को साकार कर पाएँगे। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।

आदरणीय सभापति जी, मैं विश्व मंच पर जाता हूँ, विश्व के अनेक लोगों से मिलता रहता हूँ और मैं आज अनुभव कर रहा हूँ कि पूरा विश्व निवेश के लिए तैयार है और भारत उनकी पहली पसंद है। हमारे राज्यों में निवेश आने वाला है। उसका पहला द्वार तो राज्य ही होता है। इसलिए अगर राज्य जितना ज्यादा इस अवसर को जुटाएँगे, मैं ऐसा मानता हूँ कि उतना उन राज्यों का विकास होगा।

आदरणीय सभापति जी, जिन-जिन बातों को हमारे माननीय सदस्यों ने उठाया था, मैंने उन सबकी संकलित रूप में जानकारी देने का प्रयास किया है और आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने जो अभिभाषण दिया, हमारे लिए जो दिशा-निर्देश दिए हैं तथा देश के सामान्य मानवी के अंदर उन्होंने जो विश्वास पैदा किया है, इसके लिए मैं अपनी तरफ से और इस सदन की तरफ से राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद!

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Motion to vote. The question is:

That an Address be presented to the President in the following terms:

"That the Members of the Rajya Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which she has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on June 27, 2024."

*The question was put and the motion was adopted.*

### VALEDICTORY REMARKS

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, we have come to the conclusion of 264<sup>th</sup> Session of Rajya Sabha. The Session began with the President's Address to both Houses of Parliament, an important tradition that set the tone and outlined the Government's agenda.

We witnessed hon. Prime Minister introduce his Council of Ministers after he was sworn in as the Prime Minister of India for the third consecutive term after six decades. Motion of Thanks to the President's Address witnessed lively participation by 76 Members for over 21 hours. The House also heard the maiden speeches by 19 newly-elected Members.

The hon. Prime Minister gave a spirited address while participating in the debate. The House lost 43 minutes due to forced adjournments, shortfall of which was made up by continuing discussion during the lunch break and sitting beyond the scheduled time. Due to extended sitting, the total duration of Business was finally extended by three hours beyond the scheduled time, and, therefore, we scored more than 100 per cent in our productivity.

While there was active participation from both the Treasury as well as the Opposition Benches, I was constrained to make some poignant observations that weighed heavily on my mind over the disruptions that marred the proceedings. Witnessing seasoned Members conduct themselves irresponsibly was particularly disheartening. I wish to reiterate that disruption not only impede transaction of the listed Business but also erode the prestige of this esteemed institution. It was extremely painful to notice that even the Leader of the Opposition walked into the Well of the House. That was a disgrace to parliamentary conduct and propriety. I expect Members of this House to exemplify their conduct so that this becomes a temple for deliberation, discussion, dialogue and debate. Their walkout today was extremely painful. It was a historic occasion. The Government was in its third term with Prime Minister heading it continually after six decades. They walked away from their constitutional ordainment and that has set a dangerous precedent, antithetical to democratic values.

Hon. Members, I extend my heartfelt appreciation to hon. Deputy Chairman, Shri Harivansh, who has lent me strength on every occasion and guided me by his wise counsel in the proceedings of the House and in engaging in innovative steps in the Secretariat. Members on the Panel of Vice-Chairpersons are also due for thanks for assisting me in conducting the proceedings of the House. Fifty per cent of them constitute women Members of this House. I extend my sense of gratitude to the



Leader of the House, to the Leader of the Opposition, leaders of various parties and all the Members for their kind cooperation.

I acknowledge the untiring efforts of the Secretary-General and his team of dedicated officers and staff for ensuring smooth conduct of the proceedings during the Session. Thank you.

---

**NATIONAL SONG**

MR. CHAIRMAN: Now, National Song.

*(The National Song, "Vande Mataram", was then played.)*

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned *sine die*.

*The House then adjourned sine die at three minutes past two of the clock.*

---

PUBLISHED UNDER RULE 260 OF RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF  
BUSINESS IN THE COUNCIL OF STATES (RAJYA SABHA)